

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

(भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के
अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय)

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

(A Statutory body established under
Indian Veterinary Council Act, 1984)



वार्षिक रिपोर्ट 2021-22
Annual Report 2021-22



डॉ. उमेश चंद्र शर्मा

अध्यक्ष

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

प्रस्तावना

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। देश अपनी आजादी के 75 साल का जश्न 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है, इसलिए यह परिषद् भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार होने पर गर्व महसूस करती है। पशुपालन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पशु चिकित्सकों की भूमिका पशुधन उत्पादन से आय बढ़ाने के लिए किसानों को जागरूकता और तकनीकी सहायता देकर एक प्रमुख भूमिका निभाती है। पशुचिकित्सक न केवल पशुओं का उपचार करते हैं बल्कि विभिन्न प्रजातियों के पालन-पोषण के दौरान पशुओं में से किसी मालिक के सामने आने वाली कई समस्याओं का समाधान भी करते हैं। चूंकि बीसीआई पशु चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के नियमन के लिए नियामक निकाय है, इसलिए देश में एक अच्छा पशु चिकित्सक बनाने में इस परिषद् की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

वर्ष के दौरान, परिषद् ने पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदान की जा रही पशु चिकित्सा शिक्षा की भौतिक सुविधाओं और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 60 पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण किया। परिषद् ने 2594 पंजीकृत पशु चिकित्सकों के नाम वाले भारतीय पशु चिकित्सकों के रजिस्टर - 2020 को तैयार और प्रकाशित किया। इसके अलावा, परिषद् ने 7 पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में प्रथम और द्वितीय बी.वी.एससी. और ए.एच कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की। बीवीएससी और एएच कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय 15% कोटा के तहत "ईडब्ल्यूएस" और "ओबीसी" कोटा के कार्यान्वयन के लिए, केंद्र सरकार के परामर्श से पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में वार्षिक प्रवेश 80 सीटों से बढ़ाकर 100 सीटों तक कर दिया गया है। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से NEET (UG) मेरिट लिस्ट, 2021 का उपयोग करके सफल उम्मीदवारों को 15% अखिल भारतीय कोटा के तहत बीवीएससी और एएच पाठ्यक्रमों के लिए 761 सीटें आवंटित की गईं।

परिषद् ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 31 के तहत "पशु चिकित्सा अभ्यास विनियमन के न्यूनतम मानकों" के प्रारूपण के लिए कदम उठाया है ताकि देश में पशु चिकित्सा अभ्यास को विनियमित किया जा सके और पशुधन और पशुओं के मालिक को गुणवत्ता पशु चिकित्सा प्रदान की जा सके। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित सरकारों और स्टेट होल्डर्स से सलाह ली गई है।



यह परिषद् यह भी महसूस करती है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक तैयार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में केंद्र सरकार से चर्चा हो चुकी है और प्रशासनिक मंत्रालय ने मामले में सहयोग दिया है।

अंत में, मैं इस परिषद् की ओर से वर्ष के दौरान भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और पशु चिकित्सा पेशे के विकास के लिए उनकी मदद, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय और केंद्र सरकार के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा, यह परिषद् वर्ष के दौरान इस परिषद् के ईमानदार और समर्पित सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करती है।

(डॉ. उमेश चंद्र शर्मा)

दिनांक:



विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	1
2.	परिषद का शासनादेश	2
3.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के सदस्यों की सूची	3
4.	परिषद की विभिन्न समितियों की संरचना	4
5.	परिषद तथा उसकी समितियों की वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बैठकों की सूची	5
6.	वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्धियां	5
7.	राजभाषा को लागू करना	12
8.	विभाग के साथ परस्पर संपर्क	13
9.	अदालती मुकद्दमें	13
10.	परिषद का बजट	13
11.	परिषद के खातों की लेखापरीक्षा	14
12.	विश्वविद्यालयों के साथ-साथ पशु चिकित्सा कॉलेजों की सूची जिनकी बी.वी.एससी और ए.एच डिग्री को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के तहत मान्यता प्राप्त है (31.03.2022 तक):-	14
13.	भावी कार्य	18
14.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	18
15.	वर्ष 2021-22 के लिए परिषद के वित्तीय विवरण	21



1. परिचय

पशु चिकित्सा व्यवसाय का विनियमन करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और राज्य पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना और पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर रखने के लिए तथा उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के उद्देश्य से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का न. 52) को 1984 में बनाया गया तथा 21 अगस्त, 1984 को भारत के अतिसाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 लागू करने के पश्चात, केंद्र सरकार (कृषि मंत्रालय) द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 1989 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. संख्या 2051 के माध्यम से, अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के प्रावधानों और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नियम, 1985 के नियम 23 के अनुसार पहली बार सदस्यों को मनोनीत करके भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया। तदनंतर, उक्त अधिनियम के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर परिषद के लिए सदस्यों का चुनाव और नामांकन किया जाता रहा है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद एक निगमित निकाय है जिसमें 27 सदस्य शामिल हैं, इनमें से— पांच सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा उन राज्यों के पशुपालन निदेशकों में से मनोनीत किया जाता है, जहाँ यह अधिनियम लागू है; चार सदस्यों को उन राज्यों के पशु चिकित्सा संस्थानों के अध्यक्षों में से चुना जाता है, जहाँ यह अधिनियम लागू है; एक सदस्य को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मनोनीत किया जाता है, एक सदस्य केंद्र सरकार के पशुपालन से सम्बद्ध मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है; एक सदस्य को भारतीय पशु चिकित्सा संघ द्वारा मनोनीत किया जाता है; एक सदस्य को उन राज्यों की पशु चिकित्सा परिषदों के अध्यक्षों में से चुना जाता है जहाँ यह अधिनियम लागू है; और एक सदस्य उन राज्यों की पशु चिकित्सा संघों के अध्यक्षों में से मनोनीत किया जाता है जहाँ यह अधिनियम लागू है। ग्यारह सदस्यों का निर्वाचन भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर में दर्ज चिकित्सकों में से किया जाता है। पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार एवं सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पशु चिकित्सा परिषद के पदेन सदस्य होते हैं।

परिषद को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार से व्यावसायिक दक्षता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त होता है।

परिषद ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत निहित प्राधिकारों के अनुपालन में, अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ती हेतु निम्नलिखित विनियम बनाए हैं :-

1. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (निरीक्षक और आगंतुक) विनियम, 1991.
2. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (सामान्य) विनियम, 1991.
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1992.
4. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पशु चिकित्सकों के व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानदंड) विनियम, 1992.
5. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (शुल्क एवं भत्ते) विनियम, 1992.
6. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव) विनियम, 1995.
7. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की सेवाओं के नियम तथा शर्तें) विनियम, 2001.
8. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2001.
9. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (सामान्य) (संशोधन) विनियम, 2005, और
10. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानदंड) – डिग्री पाठ्यक्रम (बी.वी.एससी और ए. एच.) विनियम, 2016.

परिषद ने, अपने संविधिक दायित्वों का ध्यान रखते हुए, भारतीय पशु चिकित्सकों का रजिस्टर तैयार किया है जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम हैं, जिनके पास मान्यता प्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हताएं हैं और जिनके नाम इस समय उन राज्यों के राज्य पशु-चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हैं, जहाँ यह अधिनियम लागू है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की पशु चिकित्सा परिषदों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर वर्ष में एक बार रजिस्टर के अनुपूरक प्रकाशित किये जाते हैं।



परिषद् द्वारा निर्मित पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम स्तर – डिग्री पाठ्यक्रम (बी.वी.एससी और ए.एच.) विनियम, 2016 के माध्यम से देश के सभी पशु चिकित्सा कॉलेजों में पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों की डिग्री कोर्स स्तर पर एकरूपता बनाए रखी जाती है। इसके अलावा, इन विनियमनों का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, परिषद् पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में बुनियादी ढाँचे, जनशक्ति, उपस्कर, पशुधन फार्मों, पशु चिकित्सा के अध्यापन के लिए क्लिनिकल परिसर आदि की समस्त उपलब्ध सुविधाओं का उक्त अधिनियम के अनुपालन में निरीक्षकों की नियुक्ति करती है और समय समय पर परीक्षा की प्रक्रिया का निरीक्षण करती है।

पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम स्तर – डिग्री पाठ्यक्रम (बी.वी.एससी और ए.एच.) विनियम, 2016 के विनियम 7(8) के प्रावधानों के अनुसार, परिषद् द्वारा पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.वी.एससी और ए.एच. डिग्री कोर्स की कुल सीटों में से 15% सीटों को भरने के लिए प्रति वर्ष काउंसिलिंग आयोजित की जाती है।

2. परिषद् का शासनादेश

- ❖ भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर को तैयार करना और उसका रखरखाव करना जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम शामिल किये जाते हैं, जिनके पास मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अहर्ताएं हैं और जिनके नाम इस समय उस राज्य के पशु चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हैं जहाँ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 लागू है।
- ❖ देश में पशु चिकित्सा व्यवस्था को विनियमित करना
- ❖ उन राज्यों में जहाँ यह अधिनियम लागू है, पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अहर्ताएं प्रदान के लिए, पशु चिकित्सा शिक्षा के अनिवार्य न्यूनतम मानदंड निर्धारित करना।
- ❖ भारत में पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा स्वीकृत की गई पशु चिकित्सा अहर्ताओं को मान्यता प्रदान करना या मान्यता वापस लेने की अनुशंसा करना।
- ❖ पशु चिकित्सकों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानकों को निर्धारित करना।
- ❖ पशु चिकित्सा शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अन्य देशों में स्थित संस्थानों से उनकी अहर्ताओं के संदर्भ में उनकी मान्यताओं के लिए पारस्परिक आधार पर बातचीत करना।
- ❖ केन्द्रीय और राज्य सरकारों को पशु चिकित्सा प्रथाओं और शिक्षा के संबंध में सभी विनियमनकारी मामलों पर परामर्श देना।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार, परिषद् के वार्षिक खातों, प्रति वर्ष, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अथवा इस कार्य के लिए उनके द्वारा उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षा कराना अनिवार्य होता है। तदनुसार, परिषद् के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य और जल संसाधन), 8वीं और 9वीं मंजिल, सीएजी एनेक्सी बिल्डिंग, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों द्वारा की गई है। परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र के साथ परिषद् के परीक्षित लेखा विवरण भी केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये गए हैं जिन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

परिषद् अब भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित अपनी 30वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।



3. दिनांक 31.03.2022 तक भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों की सूची:

क्र.सं.	सदस्यों के नाम और पते	सदस्यता
1.	डॉ. उमेश चंद्र शर्मा, ई-7/1, चार इमली, भोपाल, मध्य प्रदेश	अध्यक्ष
2	डॉ. प्रदीप कुमार यादव, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय पशु सुविधा, अंसारी नगर, एम्स, नई दिल्ली।	उपाध्यक्ष
3.	डॉ. अमित नैन, ग्राम बोदीवाला पीठा, पी.ओ. खुल-खेड़ा, तहसील फाजिल्का, जिला फिरोजपुर, पंजाब-152121	सदस्य
4	डॉ. देवी शंकर राजोरिया, 42, उषा विहार, त्रिवेणी नगर के पास, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर-302018, राजस्थान	सदस्य
5	डॉ. इंगले संदीप विनायकराव मौली हाउस, शंकर नगर के पास, बालाजी नगर, अमरावती, महाराष्ट्र - 444606	सदस्य
6	डॉ. अरुण टी.आर., टेकापल्ली हाउस, डाकघर वतनपल्ली, त्रिशूर, केरल - 680614	सदस्य
7	डॉ. रमेश आर., नंबर 4 ई, कृष्णासामी स्ट्रीट 1 क्रॉस, न्यू पीईटी, कृष्णागिरी, तमिलनाडु - 635001	सदस्य
8	डॉ. चिरंतन कादियान, वी.एस. एचसीबीसी, पुरखास, जिला-सोनीपत, हरियाणा - 131102	सदस्य
9	डॉ. कंधाराजू एल., 408, व्यालिकवल, एचएसबीसी, विनायक पार्क के आगे, विजयनगर, बेंगलोर, कर्नाटक-560040	सदस्य
10	डॉ. विजय कुमार झा, फ्लैट नंबर 202, सावित्री रेजीडेंसी, रोड नंबर 10, ईस्ट पटेल नगर, पटना, बिहार -800023	सदस्य
11	डॉ. गुरुचरण दत्ता, ग्राम इंडस (हजरपारा), जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल - 722205	सदस्य
12	डॉ. बी.एस. लौरा, निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
13	डॉ. नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर कुलपति, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़	सदस्य
14	डॉ. एन. एच. केलावाला, कुलपति, कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य



15	डॉ. बी.एन. त्रिपाठी, डीडीजी (पशु विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली	सदस्य
16	डॉ. प्रवीण मलिक, पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
17	डॉ. सुलेखा एस.एल. सहायक आयुक्त (एएच), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
18	डॉ. डालचंद वर्मा अध्यक्ष, राज्य पशु चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
19	डॉ. दंडेश्वर डेका असम पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा, संघ	सदस्य

4 (क) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 12(1) के प्रावधानों के अनुसार परिषद द्वारा गठित विभिन्न समितियों की संरचना इस प्रकार है:

कार्यकारी समिति

1. डॉ. उमेश चंद्र शर्मा	—	अध्यक्ष, भा.प.चि.प.
2. डॉ. प्रदीप कुमार यादव	—	उपाध्यक्ष, भा.प.चि.प.
3. डॉ. इंगले संदीप विनायकराव	—	सदस्य
4. डॉ. अमित नैन	—	सदस्य
5. डॉ. आर. रमेश	—	सदस्य
6. डॉ. एन.एच. कैलावाला	—	सदस्य
7. डॉ. सुलेखा एस.एल.	—	सदस्य
8. डॉ. एन.पी. दक्षिणकर	—	सदस्य

शिक्षा समिति

1. डॉ. एन.पी. दक्षिणकर	—	सदस्य
2. डॉ. एन.एच. कैलावाला	—	सदस्य
3. डॉ. प्रवीण मलिक	—	सदस्य
4. डॉ. बी.एन. त्रिपाठी	—	सदस्य

वित्त समिति

1. डॉ. बी.एस. लौरा	—	अध्यक्ष
2. डॉ. कंधाराजू एल	—	सदस्य
3. डॉ. गुरुचरण दत्ता	—	सदस्य
4. डॉ. अरुण टी.आर.	—	सदस्य
5. डॉ. डी.सी. वर्मा	—	सदस्य



पंजीकरण समिति

1. डॉ. गुरुचरण दत्ता	—	अध्यक्ष
2. डॉ. विजय झा	—	सदस्य
3. डॉ. धर्मेश्वर डेका	—	सदस्य
4. डॉ. देवी शंकर राजोरिया	—	सदस्य
5. डॉ. अरुण टी.आर.	—	सदस्य

अनुशासनात्मक / संपर्क समिति

1. डॉ. डी.सी. वर्मा	—	सदस्य
2. डॉ. बी.एन. त्रिपाठी	—	सदस्य
3. डॉ. विजय झा	—	सदस्य

विनियमन समिति

1. डॉ. प्रदीप कुमार यादव	—	उपाध्यक्ष, वीसीआई
2. डॉ. प्रवीण मलिक	—	सदस्य
3. डॉ. सुलेखा एस.एल.	—	सदस्य

5. वर्ष 2021-22 के दौरान परिषद तथा इसकी समितियों द्वारा आयोजित बैठकों की सूची:-

क्र.सं.	परिषद / समितियां	बैठक की तिथि
1	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	10.08.2021, 17.09.2021, 13.12.2021, 09.03.2022
2	कार्यकारिणी समिति	08.07.2021, 28.07.2021 28.08.2021, 14.10.2021 06.12.2021, 22.12.2021
3.	वित्त समिति	28.09.2021,
4.	शिक्षा समिति	27.08.2021,
5.	पंजीकरण समिति	24.08.2021,
6.	विनियमन समिति	27.09.2021

6. वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्धियां:

6.1 पंजीकरण

(क) भारतीय पशु चिकित्सकों के रजिस्टर-2020 के अनुपूरक का प्रकाशन

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार, परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर 2020 का अनुपूरक तैयार किया है जिसमें 2594 पशु चिकित्सक व्यवसायियों के नाम शामिल हैं, जिनके पास अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूचियों में निहित मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अहर्ताएं हैं, और जिनके नाम इस समय उन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की पशु चिकित्सा परिषदों में दर्ज हैं जहाँ यह अधिनियम लागू है। सभी नाम कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भारत के अति साधारण राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजे गए और उनको राजपत्र अधिसूचना संख्या 62 के माध्यम से 15.11.2021 को भारत के अतिसाधारण राजपत्र (भाग- III खंड-4) में प्रकाशित किया गया।



(ख) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के साथ पंजीकरण

परिषद् ने, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 24 और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पंजीकरण) विनियम, 1992 के अनुसार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के साथ अपना नाम पंजीकृत करने के इच्छुक 722 पशु चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीकरण किया है। यद्यपि, पंजीकरण से पूर्व राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की पशु चिकित्सा परिषद् के साथ उनके पंजीकरण से संबंधित प्राथमिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित कर लिया गया था।

(ग) पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण का अंतरण

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 52 के अनुसार, पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण को एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने का प्रावधान है। वर्ष के दौरान, परिषद् को पशु चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के अंतरण के लिए 422 आवेदन प्राप्त हुए। परिषद् ने पूर्वोक्त धारा में निर्दिष्ट अनुसार संबद्ध राज्य/ संघ राज्य परिषदों को पशु चिकित्सा व्यवसायियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के अंतरण हेतु निर्देश जारी किए हैं।

6.2 पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक मानदंडों का विनियमन

(क) पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण

देश में पशु चिकित्सा शिक्षा के मानदंडों को विनियमित करने और पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम स्तर – डिग्री कोर्स (बी.वी. एससी और ए.एच.) विनियम, 2016 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परिषद् समय समय पर, बी.वी.एससी और ए.एच. की डिग्री के लिए दी जाने वाली पशु चिकित्सा शिक्षा और परीक्षाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच के लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण कराती है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (निरीक्षक और अभ्यागत) विनियम, 1991 के अनुसार, विश्वविद्यालयों में पाई गई कमियों/अयोग्यताओं पर निरीक्षकों की टिप्पणियाँ प्राप्त की गईं और इन रिपोर्टों की विश्वविद्यालयों की टिप्पणियों के साथ परिषद् द्वारा जांच की गई। विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, इस संबंध में लिए गए सभी निर्णयों को विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों के साथ बातचीत करके लागू किया गया।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 19 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् ने वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन/ मान्यता प्राप्त निम्नलिखित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की जिनमें पशु चिकित्सा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, जनशक्ति, उपस्कर, प्रशिक्षण के लिए मानदंडों की पर्याप्तता और पशु चिकित्सा शिक्षा के अध्यापन और बी.वी.एससी और ए.एच. डिग्री के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए निरीक्षण किया गया:—

कॉलेजों का निरीक्षण:—

क्र.सं.	कॉलेज का नाम	यूनिवर्सिटी का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	आरआर कॉलेज ऑफ वेटेरनरी एंड एनिमल साइंसेज, देवली, राजस्थान	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेरनरी एंड एनिमल साइंसेज, बीकानेर	24 - 26 जून, 2021
2	संस्कारम कॉलेज ऑफ वेटेरनरी एंड एनिमल साइंस, झज्जर	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	15 - 17 जुलाई, 2021
3	डॉ. जी.सी. नेगी कॉलेज ऑफ वेटेरनरी एंड एनिमल साइंसेज, पालमपुर	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	01 - 03 सितंबर, 2021



4	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, पंतनगर	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	01- 03 सितंबर, 2021
5	फैकल्टी ऑफ़ वेटेरनरी साइंसेज एंड एनिमल हसबैंडरी, जम्मू	शेर-ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू	01- 03 सितंबर, 2021
6	फैकल्टी ऑफ़ वेटेरनरी साइंसेज एंड एनिमल हसबैंडरी, श्रीनगर	शेर-ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, श्रीनगर	01- 03 सितंबर, 2021
7	आरपीएस कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी साइंसेज, महेंद्रगढ़, हरियाणा	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	08 - 10 सितंबर, 2021
8	कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी साइंस, गुवाहाटी	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	13 से 15 सितंबर, 2021
9	कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी साइंसेज एंड एनिमल हसबैंडरी, रांची	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	13 से 15 सितंबर, 2021
10	कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी साइंस, हैदराबाद	पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	13 से 15 सितंबर, 2021
11	कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी साइंस, कोरुत्ता	पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना, वेटेरनरी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	13 से 15 सितंबर, 2021
12	मुंबई वेटेरनरी कॉलेज, मुंबई	महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर	15 - 17 सितंबर, 2021
13	नागपुर वेटेरनरी कॉलेज, नागपुर	महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर	15 - 17 सितंबर, 2021
14	कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी एंड एनिमल साइंसेज. परभनी	महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर	15 - 17 सितंबर, 2021
15	के.एन.पी कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी साइंस, शिर्वाळ, सतारा	महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर	15 - 17 सितंबर, 2021
16	कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी एंड एनिमल साइंसेज, उदगीर	महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर	15 - 17 सितंबर, 2021
17	कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी एंड एनिमल हसबैंडरी, फैजाबाद	आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या	15 - 17 सितंबर, 2021
18	कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी एंड एनिमल हसबैंडरी, मथुरा	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा	15 - 17 सितंबर, 2021
19	आईसीएआर- इंडियन वेटेरनरी रिसर्च इंस्टिट्यूट, इज्जतनगर, बरेली	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली	15 - 17 सितंबर, 2021
20	कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी एंड एनिमल हसबैंडरी, आनंद	कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	16-18 सितंबर, 2021
21	कॉलेज ऑफ़ वेटेरनरी एंड एनिमल हसबैंडरी, सरदारकृषिनगर	कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	16-18 सितंबर, 2021



22	कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हसबैंडरी, नवसारी	कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	16-18 सितंबर, 2021
23	कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हसबैंडरी, जूनागढ़	कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	16-18 सितंबर, 2021
24	कामधेनु पशु चिकित्सा कॉलेज, राजपुर, हिम्मतनगर	कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	16-18 सितंबर, 2021
25	वेटरनरी कॉलेज हेब्बल, बेंगलोर	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर	20 से 22 सितंबर, 2021
26	वेटरनरी कॉलेज नंदीनगर, बीदर	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर	20 से 22 सितंबर, 2021
27	वेटरनरी कॉलेज, हसन	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर	20 से 22 सितंबर, 2021
28	वेटरनरी कॉलेज, शिमोगा	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर	20 से 22 सितंबर, 2021
29	वेटरनरी कॉलेज, गडग	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर	20 से 22 सितंबर, 2021
30	कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हसबैंडरी, दुर्ग	छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग	21-23 सितंबर, 2021
31	कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हसबैंडरी, भुवनेश्वर	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	22 से 24 सितंबर, 2021
32	राजीव गांधी पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज, पुडुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी	23 से 25 सितंबर, 2021
33	कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हसबैंडरी, आर.के. नगर, त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	23 से 25 सितंबर, 2021
34	कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, मेरठ	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	23 से 25 सितंबर, 2021
35	एनटीआर कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, गन्नवरम	श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी, तिरुपति	27 से 29 सितंबर, 2021
36	कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, प्रोद्दातुर	श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी, तिरुपति	27 से 29 सितंबर, 2021
37	कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, तिरुपति	श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी, तिरुपति	27 से 29 सितंबर, 2021
38	बिहार वेटरनरी कॉलेज, पटना	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	27 से 29 सितंबर, 2021
39	कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हसबैंडरी, आइजोल, मिजोरम	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल	27 से 29 सितंबर, 2021
40	मद्रास वेटरनरी कॉलेज, चेन्नई	तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई	27 से 29 सितंबर, 2021



41	वेटरनरी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नमक्कल	तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई	27 से 29 सितंबर, 2021
42	वेटरनरी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओरथनडू	तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई	27 से 29 सितंबर, 2021
43	वेटरनरी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तिरुनेलवेली	तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई	27 से 29 सितंबर, 2021
44	फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल साइंसेज, कोलकाता	पश्चिम बंगाल पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	29 सितंबर से 01 अक्टूबर 2021
45	कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, मन्नुथी	केरल वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, पुकोटे	08 - 10 नवंबर, 2021
46	कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, पुकोटे	केरल वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, पुकोटे	08 - 10 नवंबर, 2021
47	अरावली वेटरनरी कॉलेज, सीकर	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	02 - 04 दिसंबर, 2021
48	अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, जयपुर	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, बीकानेर	02 - 04 दिसंबर, 2021
49	महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, चोमू, जयपुर	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, बीकानेर	02 - 04 दिसंबर, 2021
50	एम.बी. वेटरनरी कॉलेज, झुंजरपुर	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	02 - 04 दिसंबर, 2021
51	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, जयपुर	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, बीकानेर	02 - 04 दिसंबर, 2021
52	कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, नवानिया, वल्लभनगर, उदयपुर	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	02 - 04 दिसंबर, 2021
53	कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, बीकानेर	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, बीकानेर	02 - 04 दिसंबर, 2021
54	कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज, लुधियाना	गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना	02 - 04 दिसंबर, 2021
55	खालसा कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, अमृतसर	गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना	02 - 04 दिसंबर, 2021
56	कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज, हिसार	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	02 - 04 दिसंबर, 2021
57	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, रोहतक	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	02 - 04 दिसंबर, 2021
58	एमआर कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड रिसर्च सेंटर, हसनपुर, झज्जर (हरियाणा)	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	22 - 24 जनवरी, 2022
59	सौरभ कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, हिंडौन, राजस्थान	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	22 - 24 जनवरी, 2022
60	शेखावती वेटरनरी कॉलेज, सीकर	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	15 - 17 मार्च, 2022



6.3 पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता के लिए आवेदन की जांच

- (क) धारा 64 (1) के साथ पठित धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने वीसीआई (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता देने और मान्यता रद्द करने और पशु चिकित्सा अहर्ताओं की प्रक्रिया) नियम 2017 तैयार किए हैं। पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अहर्ताओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा पूर्वोक्त नियमों में निर्धारित प्रपत्र-1 के प्रारूप में पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। निर्धारित शुल्क सहित निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर, सरकार ऐसे आवेदन को पूर्वोक्त नियमों के नियम 7 के अनुसार मूल्यांकन और सिफारिश के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को भेजती है ताकि प्रथम और द्वितीय बी.वी.एससी. और ए.एच पाठ्यक्रम के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) प्रदान किया जा सके।

आवेदनों की जांच और पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के निरीक्षण के बाद, परिषद ने केंद्र सरकार से निम्नलिखित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए बी.वी.एससी. और ए.एच पाठ्यक्रम में पहले दो शैक्षणिक वर्ष हेतु वार्षिक प्रवेश के लिए 80 छात्रों को अनुमति पत्र देने की सिफारिश की है:

क्र. सं.	वेटेनरी कॉलेज का नाम और पता	निजी/सरकारी क्षेत्र	संबंधक विश्वविद्यालय का नाम
1	संस्कारम पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, झज्जर, हरियाणा	निजी	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार
2	आरपीएस कॉलेज ऑफ वेटेनरी साइंसेज, सतनाली रोड, बलाना, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा	निजी	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार
3	एम.आर. कॉलेज ऑफ वेटेनरी साइंस एंड रिसर्च सेंटर, हसनपुर, झज्जर	निजी	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार
4	आर.आर. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, देवली, टोंक जयपुर	निजी	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
5	महात्मा गांधी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान	निजी	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
6	श्री गंगानगर पशु चिकित्सा महाविद्यालय, श्री गंगानगर, राजस्थान	निजी	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
7	शौरभ कॉलेज ऑफ वेटेनरी साइंस, हिंडौन सिटी, करौली, राजस्थान	निजी	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर



6.4 बी.वी.एससी और ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा की 15% सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का आयोजन

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् ने शैक्षणिक सत्र 2021 के दौरान भारत में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा कॉलेजों में बी.वी.एससी और ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा की 15% सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली एनईईटी (यूजी) -2021 मेरिट सूची प्रवेश परीक्षा का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

उपरोक्त सीटों को भरने के लिए, परिषद् ने एक विज्ञापन जारी किया और वीसीआई की वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड की। इसके जवाब में 4597 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराया। विभिन्न मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.वी.एससी. और ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों को मेरिट, पसंद और सीटों की उपलब्धता के अनुसार 761 सीटें आवंटित की गईं।

6.5 व्यावसायिक आचरण संबंधी विनियम

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार पशु चिकित्सा व्यवसायियों के लिए व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता विनियम, 1992 तैयार किए जिन में निर्दिष्ट किया गया है कि इन विनियमों के किस प्रकार के उल्लंघन को व्यावसायिक दुराचरण माना जाएगा। राज्य पशु चिकित्सा परिषदों द्वारा एक अनुशासनात्मक समिति बनाई जाती है और उसके बाद से ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल इसकी अनुशासन समिति के माध्यम से की जाती है। परिषद् पंजीकृत पशु चिकित्सकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को संबंधित मामले में उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य पशु चिकित्सा परिषदों को भेज देती है।

6.6 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा पशु चिकित्सा व्यवसाय के न्यूनतम मानदंडों के विनियमों का मसौदा तैयार करना

परिषद् ने वीसीआई - पशु चिकित्सा व्यवसाय विनियमों के न्यूनतम मानदंडों को तैयार करने का निर्णय लिया और विनियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके बाद, विशेषज्ञ समिति ने पशु चिकित्सा व्यवसाय विनियमों के मसौदे पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया। 28 से 29 अक्टूबर, 2021 तक गुवाहाटी, असम में; 08 से 09 जनवरी, 2022 तक आनंद, गुजरात में; 11 से 12 फरवरी, 2022 तक तिरुपति में; और 25 से 26 मार्च, 2022 तक लुधियाना में चार क्षेत्रीय स्तर की बैठकें आयोजित की गईं। क्षेत्रीय बैठक में संबंधित राज्यों के विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य पशुपालन विभागों, राज्य पशु चिकित्सा संघों, राज्य दुग्ध संघों और राज्यों के प्रगतिशील निजी चिकित्सकों आदि ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने पशु चिकित्सा व्यवसाय विनियमों के न्यूनतम मानदंडों के मसौदे को तैयार करने के उद्देश्यों के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किये।

6.7 बी.वी.एससी. और ए.एच. पाठ्यक्रम कार्यक्रम में 40 छात्रों तक के दाखिले के लिए प्रवेश संबंधी मानदंडों को लागू करने में एकरूपता लाने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करना

शिक्षा समिति ने देखा कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत बनाए गए एमएसवीई विनियम, 2016 के अंतर्गत उल्लिखित भौतिक सुविधाएं, बुनियादी ढांचा तथा जनशक्ति, सालाना 80 छात्रों के प्रवेश के लिए मान्य हैं। यह भी देखा गया कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 और धारा 21 के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा वीसीआई (संशोधन) नियम, 2019 तैयार किया गया है, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अहर्ताएं प्रदान करने वाले पशु चिकित्सा संस्थान में 81 से 120 और 121 से 160 तक सीटों की किसी भी वृद्धि के संबंध में आवेदन जमा करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं निर्दिष्ट की गई हैं। पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण करने के बाद परिषद् ने आगे पाया कि 80 से कम वार्षिक प्रवेश के मानदंडों का मूल्यांकन निरीक्षकों द्वारा ऐसे किसी दिशानिर्देश या विनियम के अभाव में मनमाने ढंग से किया गया है। इस उद्देश्य के लिए पृथक विनियम बनाए जाने तक, परिषद् ने सालाना 40 छात्रों तक के प्रवेश के



मानदंडों की कार्यान्वयन की एकरूपता बनाए रखने के लिए एमएसवीई विनियम, 2016 के विनियम 2(एफ) के प्रावधानों के तहत दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया। दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और इसके प्रसार से पूर्व सहमति के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार को भेजा गया है।

6.8 पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना

परिषद् की शिक्षा समिति ने देखा कि भले ही एमएसवीई विनियम 2016 के विनियम 14(1) और 14(2) के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कुछ मानदंड पहले से ही दिए गए हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की बढ़ती संख्या को देखते हुए समिति को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कुछ नए प्रावधान लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार, परिषद् ने एमएसवीई विनियम, 2016 के विनियम 2 (एफ) के प्रावधानों के तहत 'मानदंडों को बनाए रखने के उद्देश्य से पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड एवं अहर्ताओं संबंधी दिशानिर्देश' तैयार करने का निर्णय लिया। तदनुसार, शिक्षा समिति द्वारा तैयार किये गए दिशानिर्देशों को परिषद् द्वारा मंजूरी दी गई और पशु चिकित्सा महाविद्यालय वाले सभी विश्वविद्यालयों और प्रधान सचिव (एएच) को परामर्शी के रूप प्रसारित किया गया।

6.9 वीसीआई – पंजीकरण विनियम, 1992 और वीसीआई – पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2002 में संशोधन का प्रस्ताव।

परिषद् ने 17.09.2021 को आयोजित अपनी बैठक में वीसीआई – पंजीकरण विनियम, 1992 और वीसीआई – पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2002 में निम्नलिखित कारणों से संशोधन करने पर विचार किया:-

वीसीआई-सदस्यों का चुनाव चिकित्सकों के मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन आयोजित किया गया था, जबकि उक्त विनियमों के तहत निर्धारित आईवीपीआर के प्रारूप में मोबाइल नंबर शामिल करने का प्रावधान नहीं है। अतः आईवीपीआर के प्रारूप में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, वीसीआई-एमएसवीई विनियम, 1993 और 2008 के अनुसार बी.वी.एससी. और ए.एच. पाठ्यक्रम के लिए अंतरिम पंजीकरण की अवधि 6 महीने थी। जबकि, वीसीआई-एमएसवीई विनियम, 2016 के अनुसार इंटर्नशिप की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है। अतः अंतरिम पंजीकरण छह महीने के बजाय एक वर्ष की अवधि के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, राज्य पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा अंतरिम पंजीकरण वहीं प्रदान किया जाता है जहां कॉलेज है। अतः प्रारूप के अनुसार संशोधन की आवश्यकता है।

तदनुसार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के 66 के प्रावधानों के अनुसार वीसीआई-पंजीकरण विनियमों के संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

6.10 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई

जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनिवार्य है, परिषद् की आधिकारिक वेबसाइट को जनता के लाभ के लिए नवीनीकृत विस्तृत जानकारी अपलोड करके अद्यतन किया गया है। इससे संबंधित सूचनाओं को प्रत्येक तीन माह में निर्धारित प्रारूप में भरकर नियमित रूप से नोडल विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत 133 आवेदन प्राप्त हुए और आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदकों को वांछित जानकारी प्रदान की गई।

7. राजभाषा को लागू करना

नई दिल्ली राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, क्षेत्र ४ के अंतर्गत आता है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत राजपत्र अधिसूचना सं. 41 (एस.ओ.980) दिनांक 02.11.2020 के द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के कार्यालय को अधिसूचित किया गया तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में कार्य करने के आदेश जारी किए गए हैं।

परिषद् द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने की दिशा में राजभाषा विभाग, गृह



मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया गया। इस प्रयोजन के लिए परिषद् ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन किया।

परिषद् अब राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन कर रही है। कार्यालय भाषा समिति की त्रैमासिक बैठक दिनांक 22.06.2021, 14.09.2021, 20.12.2021 और 29.03.2022 को आयोजित की गई। परिषद् द्वारा दिनांक 01.09.2021 से 15.09.2021 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इसके अलावा, परिषद् के कार्यालय में दिनांक 30.12.2021 को 10.03.2022 को कार्यशाला भी आयोजित की गई।

8. विभाग के साथ परस्पर संपर्क

विभाग को प्रस्तुत किये गए परिषद् के प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार विमर्श किया गया।

9. अदालती मुकदमों

परिषद् ने अदालत के कई मामलों में भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपना बचाव किया। निम्नलिखित अदालती मामलों का निपटारा किया गया जिनमें भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् प्रतिवादी था: -

(क) उच्च न्यायालय:

1.	सीडब्ल्यूपी सं. 3789/2022 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खंडपीठ के समक्ष पवन पाटीदार बनाम भारत संघ और अन्य
2.	सीडब्ल्यूपी सं.10651/2021 नई दिल्ली में दिल्ली के उच्च न्यायालय के समक्ष संगीता डोगरा बनाम कृषि मंत्रालय, पशुपालन विभाग और अन्य
3.	सीडब्ल्यूपी सं. 5550/2021 नई दिल्ली में दिल्ली के उच्च न्यायालय के समक्ष एपेक्स स्कूल ऑफ़ वेटेरनरी साइंसेज बनाम भारत संघ और अन्य
4.	सीडब्ल्यूपी सं.5670/2021 नई दिल्ली में दिल्ली के उच्च न्यायालय के समक्ष पशु चिकित्सा और पशुपालन संकाय, श्री कौशल दास विश्वविद्यालय बनाम भारत का संघ और अन्य
5.	सीडब्ल्यूपी सं. 505/2021 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खंडपीठ के समक्ष महात्मा गांधी पशु चिकित्सा कॉलेज, भरतपुर बनाम भारत संघ और अन्य
6.	सीडब्ल्यूपी सं.18245/2020 चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष ज्वाला परिषद् शिक्षा समिति बनाम लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार और अन्य

10. परिषद् का बजट

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् को पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'व्यवसायिक कुशलता का विकास' नामक केंद्र-प्रायोजित योजना के एक घटक के अंतर्गत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, विभाग ने परिषद् के व्यय को पूरा करने के लिए परिषद् को सहायता अनुदान के रूप में रु.339.22 लाख (वैतन मद रु.165.00 लाख और सामान्य मद रु.174.22/- लाख) जारी किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी परिषद् के व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता निम्नानुसार है:-



क्र.सं.	वर्ष	सहायता अनुदान मद		कुल राशि लाखों में
		वेतन मद	सामान्य मद	
1.	2018-19	124.00	50.00	174.00
2.	2019-20	150.00	296.10	446.10
3.	2020-21	170.00	1.52	171.52

उपरोक्त के अलावा, परिषद् ने निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा रुपये 105.63 लाख का सकल राजस्व अर्जित किया: —

- काउंसलिंग शुल्क
- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 25 और 61 के अनुसार पंजीकरण शुल्क;
- प्रकाशनों की बिक्री;
- विविध प्राप्तियां; और आरटीआई अधिनियम के तहत शुल्क
- सावधि जमा पर अर्जित किया गया ब्याज
- निजी पशु चिकित्सा कॉलेजों से निरीक्षण/आवेदन शुल्क

11. परिषद् के खातों की लेखापरीक्षा

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार, "परिषद् को प्रतिवर्ष अपने खातों की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अथवा उनके द्वारा उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षा करानी होगी और परिषद् को उक्त लेखा परीक्षा के लिए उनके द्वारा किये गए व्यय या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षा के लिए किसी भी व्यय का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भुगतान करना होगा।"

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिषद् के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा महानिदेशक कार्यालय (कृषि, खाद्य और जल संसाधन), 8वीं और 9वीं मंजिल, सीएजी एनेक्सी बिल्डिंग, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली द्वारा 26.07.2022 से 03.08.2022 तक किया गया। लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

12. विश्वविद्यालयों के साथ-साथ पशु चिकित्सा कॉलेजों की सूची जिनमें भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के तहत बी.वी.एससी और ए.एच डिग्री पाठ्यक्रम को मान्यता प्राप्त है (31.03.2022 तक):—

क्र.सं.	राज्य	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	कॉलेज का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1.	श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरुपति	1. एनटीआर कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, गन्नवरम
				2. पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, प्रोडतुर
				3. पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, तिरुपति
2.	असम	2.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	4. पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, गुवाहाटी



3.	बिहार	3.	बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, पटना, बिहार	5. बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज, पटना
4.	छत्तीसगढ़	4.	दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग	6. पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन कॉलेज, दुर्ग
5.	गुजरात	5.	कामधेनु यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात	7. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, आनंद
				8. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, जूनागढ़
				9. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, नवसारी
				10. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, सरदारकृष्णनगर
6.	हरियाणा	6.	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	11. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस, हिसार
				12. इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, रोहतक, हरियाणा (यह कॉलेज निजी क्षेत्र के अधीन है)
7.	हिमाचल प्रदेश	7.	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	13. डॉ. जी.सी. नेगी कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, पालमपुर
8.	जम्मू और कश्मीर	8.	शेर-ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	14. फैकल्टी ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, जम्मू
		9.	शेर-ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	15. फैकल्टी ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, श्रीनगर, कश्मीर
9.	झारखंड	10.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	16. रांची कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, रांची
10.	कर्नाटक	11.	कर्नाटक वेटरनरी, एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, बीदर	17. वेटरनरी कॉलेज हेबबल, बेंगलोर
				18. वेटरनरी कॉलेज नंदीनगर, बीदर
				19. वेटरनरी कॉलेज, हस्सन
				20. वेटरनरी कॉलेज, शिमोगा
11.	केरल	12.	केरल वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, यूनिवर्सिटी, पुकोटे	21. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, त्रिशूर
				22. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, पुकोटे



12.	मध्य प्रदेश	13.	नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेटरनरी साइंसेज, जबलपुर	23 कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, जबलपुर
				24 कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, महु
				25 कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, रीवा
13.	महाराष्ट्र	14.	महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर	26 मुंबई वेटरनरी कॉलेज, मुंबई
				27 नागपुर वेटरनरी कॉलेज, नागपुर
				28 कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, परभनी
				29 के.एन.पी कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंसेज, सतारा
				30 कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, उदगीर
14.	मिजोरम	15.	सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल	31 कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, आइजोल, मिजोरम
15.	ओडिशा	16.	ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	32 कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, भुवनेश्वर
16.	पुडुचेरी	17.	पॉन्डीचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी	33 राजीव गाँधी कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, पुडुचेरी
17.	पंजाब	18.	गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी	34 खालसा कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, अमृतसर (कॉलेज निजी क्षेत्रक के अधीन है)
				35 कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस, लुधियाना
18.	राजस्थान	19.	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, बीकानेर	36 कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, बीकानेर
				37. महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, चोमू, जयपुर (कॉलेज निजी क्षेत्रक के अधीन है)
				38. अपोलो कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी मेडिसिन, जयपुर (कॉलेज निजी क्षेत्रक के अधीन है)
				39. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ़ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, जयपुर



				40 कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, नवानिया, उदयपुर
				41 अरावली वेटरनरी कॉलेज, सीकर (कॉलेज निजी क्षेत्र के अधीन है)
19.	तमिल नाडू	20.	तमिल नाडू वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई	42. मद्रास वेटरनरी कॉलेज, चेन्नई
				43. वेटरनरी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, नमक्कल
				44. वेटरनरी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, ओरथनडू
				45. वेटरनरी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, तिरुनेलवेली
20.	तेलंगाना	21.	श्री पी.वी. नरसिम्हाराव तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	46. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस, हैदराबाद
				47. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस, कोरुत्ता
21.	त्रिपुरा	22	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	48. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, आर.के.नगर, अगरतला, त्रिपुरा
22.	उत्तर प्रदेश	23	आचार्य नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, अयोध्या	49. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, अयोध्या
		24	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा	50. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी, मथुरा
		25.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली	51. आईसीएआर - भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
		26.	सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ	52. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, मेरठ
23.	उत्तराखंड	27.	गोविन्द बल्लभ पन्त यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर	53. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, पंतनगर
24.	पश्चिम बंगाल	28.	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एनिमल एंड फिशरी साइंसेज, कोलकाता	54. फैकल्टी ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, कोलकाता

*अपोलो कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी मेडिसिन, जयपुर के संबंध में बी.वी.एससी. ए.एच योग्यता केवल तभी जब 1 मार्च, 2023 को या उसके बाद प्रदान की गई हो।



13. भावी कार्य

(i) निरीक्षण

परिषद् भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसरण में पशु चिकित्सा संकाय युक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली व्यवसायी बी.वी.एससी और ए.एच. वार्षिक/बोर्ड परीक्षाओं में उपलब्ध सामान्य सुविधाओं और मानदंडों की पर्याप्तता का समय समय पर निरीक्षण करने का प्रस्ताव करती है। परिषद्, न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पिछले वर्ष के दौरान किये गए निरीक्षणों पर लिए गए निर्णयों पर विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर अगली कार्यवाही का भी प्रस्ताव करती है।

(ii) भारतीय पशु चिकित्सकों के रजिस्टर – 2022 के लिए अनुपूरक तैयार करना

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार, परिषद् भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर – 2022 के पूरक को तैयार करने का प्रस्ताव करती है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम शामिल किये जाएंगे जिनके पास मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अहर्ताएं हैं और जिनके नाम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशु चिकित्सा रजिस्टर में 31 मार्च, 2022 तक दर्ज हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पशु चिकित्सा परिषदों से राज्य के पशु चिकित्सकों के रजिस्टर को समय पर जमा करने के लिए कहा जा रहा है।

(iii) पशु चिकित्सा व्यवसायियों का सीधा पंजीकरण

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 24 के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है और परिषद् अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर इच्छुक पशु चिकित्सा व्यवसायियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करती है।

(iv) पंजीकरण का अंतरण

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 52 के अनुसार पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा आवेदन दिए जाने पर एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के अंतरण का प्रावधान है और परिषद् पंजीकरण के अंतरण के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरण के निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करती है।

(v) वर्ष 2022-23 के लिए मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा कॉलेजों में 15% सीटें भरने के लिए काउंसिलिंग का आयोजन करना

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 21 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के साथ पठित धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम स्तर – डिग्री कोर्स (बी.वी.एससी और ए.एच.) विनियम, 2016 के विनियम 7(8) के अनुसार, परिषद् शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एनईईटी (युजी) – 2022 (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा) की योग्यता सूची के आधार पर मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा कॉलेजों में बी.वी.एससी ए.एच. पाठ्यक्रम की 15% सीटों को भरने का प्रस्ताव करती है।

14. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए



भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के संलग्न तुलन पत्र और आय और व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों के साथ लेखांकन उपचार पर केवल वर्गीकरण के संबंध में, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखा परीक्षा अवलोकन शामिल है। कानून, नियमों और विनियमों (उपयुक्तता और नियमितता) और प्रभावकारिता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम वित्तीय विवरणों को सामग्री के मिथ्या विवरणों से रखने के उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में लेखांकन सिद्धांतों, जिनका उपयोग किया गया है, और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, रिपोर्ट में प्रस्तुत अपेक्षित टिप्पणियों के अनुसरण में, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
 - ii. इस रिपोर्ट के साथ उल्लिखित तुलन पत्र और आय और व्यय खाते, और प्राप्तियां और भुगतान खाते को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के समान प्रारूप में तैयार किया गया है।
 - iii. जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है, हमारी राय में, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा लेखों की यथापेक्षित बहियों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 की धारा 62(1) के अनुसरण में उचित रूप से किया गया है।
 - iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

क. तुलन पत्र

क.1 देनदारियां – 46.96 करोड़ रुपये

वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची 7): 14.22 करोड़ रुपये

उपरोक्त में वर्ष 2020-21 से संबंधित बिलों के लिए 12.74 लाख रुपये की राशि खाते में शामिल नहीं है जिसका भुगतान 2021-22 में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों और व्यय में 12.74 लाख रुपये कम दिखाया गया है और पूंजीगत निधि में 12.74 लाख रुपये अधिक दिखाया गया है।

ख. सहायता अनुदान

वर्ष 2021-22 के दौरान, वीसीआई ने 3.39 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त किया और उसके पास अप्रैल 2021 तक 0.63 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष था। कुल अनुदान 4.02 करोड़ रुपये में से, परिषद् ने 3.64 करोड़ रुपये का व्यय किया और 31 मार्च 2022 तक 0.38 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान शेष था।



- V. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा खाता पुस्तकों के अनुरूप हैं।
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों, और उपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों, और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष हैं:
- क. जहाँ तक कि इसका संबंध 31 मार्च, 2022 को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से संबंधित मामलों के तुलन पत्र से है और
- ख. जहाँ तक कि इसका संबंध उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

स्थानरु नई दिल्ली
दिनांक: .09.2022

हस्ताक्षर/—
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

अनुलग्नक – लेखापरीक्षा रिपोर्ट

- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता।**
लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा खंड नहीं है और इस अवधि के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इसके अलावा, मंत्रालय ने आज तक वीसीआई की आंतरिक लेखापरीक्षा भी नहीं कराई है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता।**
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अनुपयुक्त है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा खंड नहीं है।
- परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
वीसीआई, नई दिल्ली की अचल परिसंपत्तियों जैसे फर्नीचर और फिक्सचर, कंप्यूटर और सहायक उपकरणों का भौतिक सत्यापन मार्च 2022 तक किया गया है और किसी प्रकार की सामग्री की कमी रिपोर्ट नहीं की गई।
- माल सूचियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
वीसीआई ने वर्ष 2021-22 के लिए मालसूची का भौतिक सत्यापन किया है।
- वैधानिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता।**
खातों के अनुसार 31.03.2022 तक वैधानिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक समय से कोई भुगतान बकाया नहीं था।



भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (लाभ –निरपेक्ष संस्था) का वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण



(भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)

ए-विंग, दूसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली –110 066



भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22



तुलन पत्र 2021-22

23



आय एवं व्यय खाता 2021-22

25



तुलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां 2021-22



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्			
31.3.2022 के तुलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां			
		(राशि रुपये में)	
अनुसूची 1 मूल/पूँजीगत निधि		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		2021-22	2020-21
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि (निवल शेष)		108939130	203361831
जमा			
(i) निवल आय/व्यय की शेष राशि (आय एवम व्यय खाते से अंतरित)		0	0
(ii) अनुदान से बाहर बनाई गई संपत्ति			
(iii) सहायता अनुदान से निर्मित परिसंपत्तियां		0	0
योग		108939130	203361831
घटाएँ			
(i) आय से अधिक व्यय			
(ii) बट्टे खाते में डाली गई बेकार/अनुपयोगी/ आग के कारण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां		6895709	94422701
		0	0
तुलन पत्र में अंतरित राशि		102043421	108939130
अनुसूची 2			
आराक्षित एवम अधिशेष नीधि		0	0



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्			
31.3.2022 के तुलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां			
अनुसूची - 3	वर्तमान साल 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	(राशि रूपय में)
चिह्नित/ अक्षय निधि			
क) निधियों की प्रारंभिक शेष राशि			
ख) निधियों में जमा :			17802931
i. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			
ii सावधि जमा / बचत खाते (रु.2198722/- + रु. 0/-) पर अर्जित ब्याज	0		0
iii. सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज (अंतिम)	2198722		0
कुल	19089		1068361
iv. घटाए: प्रोद्भूत ब्याज (प्रारंभिक शेष राशि)	2217811		1068361
v बैंक शुल्क	1068361		19642
	0		0
	0		0
योग (ख)	1149450		1048719
योग (क+ख)	20001100		18851650
ग) घटाए निधियों के प्रयोजन हेतु प्रयोग / व्यय			
i. पूंजीगत व्यय	0		0
ii. राजस्व व्यय	0		0
योग (ग)	0		0
तुलन पत्र में अंतरित निवल शेष (क +ख -ग) के लिए स्थानांतरित	20001100		18851650
अनुसूची -4			
संरक्षित ऋण और उधार	0		0
अनुसूची -5			
असंक्षिप्त ऋण और उधार	0		0
अनुसूची -6			
आस्थित ऋण देनदारियां	0		0



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् 31.3.2022 के तुलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां				
अनुसूची - 7			(राशि रु म.)	
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	वर्तमान वर्ष	2021-22	पिछला वर्ष	2020-21
क. वर्तमान देनदारियां				
1. स्वीकृतियां				
2. विविध लेनदार				
क) रखरखाव शुल्क देय		112101		0
ख) परामर्श शुल्क (आंशिक रु. 7540898/- + वर्ष के दौरान 0/- वापसी 5692938/-)		1847960		7540898
3. निम्नलिखित पर ब्याज प्रोद्भूत, किन्तु देय नहीं:				
क) सुरक्षित ऋण / उधार				
ख) असुरक्षित ऋण / उधार				
4. सांविधिक देयताएं				
क) जीपीएफ खाते में देय ब्याज		526783		0
ख) पेंशन/छुट्टी नकदीकरण, उपदान निधि के अशदान में देय				
5. अन्य वर्तमान देनदारियां		127266090		110882625
अर्जित राशि (नियोजित - 9000/- + परीक्षा - 65000/-)		74000		74000
प्रतिभूति जमा नियोजित-0/- + परीक्षा -10000/-		10000		60000
विशेषज्ञ को मानदेय -सीवीई/बकाया वेतन व भत्ता -		150150		150150
बकाया वेतन और मजदूरी (परीक्षा निधि)			438907	
बकाया वेतन और मजदूरी (नियोजित)			0	
अन्य देनदारियां		22792		
कानूनी एवं व्यावसायिक सेवाओं के लिए देय		5289300		5330060
टेलीफोन शुल्क के लिए देय		4636		
विद्युत प्रभार के लिए देय		59230		12380
टीए/डीए व्यय देय		473538		
चिकित्सा व्यय के लिए देय			38402	
लेखापरीक्षा अवलोकन 2020-21 के अनुसार मुख्य खातों के पुराने चेकों की विविध देयताएं		168966		
लेखापरीक्षा अवलोकन 2020-21 के अनुसार परीक्षा खातों के पुराने चेकों की विविध देनदारी		253455		
फर्नीचर और फिक्सचर के लिए केन्द्रीय भंडार को देय (454189 / -)		454189		454189
डाक व्यय के लिए देय		4515		
व्यावसायिक समूह को अन्य परीक्षा खर्च के लिए देय		67980		67980
बेटक व्यय लुधियाना क्षेत्र के लिए देय		6798601		6341918
विज्ञापन और प्रचार के लिए देय (वृत्तचित्र फिल्म)		87868		0
परामर्श व्यय - एसएसएल प्रमाणपत्र के लिए		8496		800000
अनुदान सहायता को अप्रयुक्त शेष राशि		3891928		6336839
योग (क)		140773977		132186430
ख. प्रावधान				
कराधान के लिए		1359290		1359290
बीमाधिक के अनुसार उपादान पहले से ही ऊपर क में शामिल है				
बीमाधिक के अनुसार अधिवर्षिता/पेंशन पहले से ही ऊपर क में शामिल है				
बीमाधिक के अनुसार संचित अवकाश नकदीकरण पहले से ही ऊपर क में शामिल है				
लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान		81000		0
योग (ख)		1440290		1359290
योग (क + ख)		142214267		133545720



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)													
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्													
31.3.2022 के तुलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियाँ													
अनुसूची - 8 अवल परिसंपत्तियाँ	विवरण	सकल कोक					मूल्यहास		वर्ष के दौरान कटाती	वर्ष के दौरान को कुल मूल्यहास	31.3.2022 को	रोश (रु० में) निवल कोक	
		वर्ष के दौरान परिवर्धन	समा योजन (-)	वर्ष के दौरान कटाती	समा योजन (+)	31.03.2022 को लागत	1.4.2021 को मूल्यहास						
क. अवल परिसंपत्ति (योजना अनुदान)	1. भवन												
	क. प्रोहिल भूमि पर												
	ख. लीजहोल्ड भूमि पर												
	ग. मोसिकाना प्रसिद्धिपर												
	2. कार्यालय उपकरण	41723775	0	0	0	0	41723775	35763366	596041	0	36359407	5960409	
ख. अवल परिसंपत्ति (परीक्षा निधि)	1. भवन												
	क. लीजहोल्ड भूमि पर	13208843	0	0	0	13208843	11099968	210888	0	11310856	1897987	2108875	
	2. वाहन	539346	0	0	0	539346	317984	33204	0	351188	188158	221362	
	3. कार्यालय उपकरण	726727	0	0	0	726727	603587	18471	0	622058	104669	123140	
	4. फर्निचर व फिक्सर	2321764	0	0	0	2321764	1403881	91788	0	1495669	826095	917883	
	5. कंप्यूटर	1376521	0	0	0	1376521	1326253	20107	0	1346360	30161	50268	
	6. विद्युत उपकरण (यूपीएस)	273090	0	0	0	273090	273075	6	0	273081	9	15	
7. श्रव्य - दृश्य सामग्री	293932	0	0	0	293932	221278	10898	0	232176	61756	72654		
वर्तमान वर्ष का योग		66053883	0	0	0	66053883	56195410	1024149	0	57219559	8834324	9858473	
पिछले वर्ष का योग		66522135	0	0	0	66522135	55509992	1153670	0	56653662	9858473	11012144	
चाई पूजागत कार्य													
कुल													
नोट: परिषद् ने भाई को खरीद के आधार पर कोई संपत्ति नहीं खरीदी है।													
नोट: करोंद													



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्			
31.3.2022 के तुलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां			
(राशि रु. में :)			
अनुसूची - 9	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	
चिह्नित/अक्षयनिधि में से निवेश			
भवन निर्माण	2021-22		2020-21
सरकारी प्रतिभूतियों में			
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			
शेयर			
डिबेंचर और बांड			
सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम			
अन्य (निर्दिष्ट किए जाने हैं)			
अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा राशि	19891144		17692422
प्रोद्भूत ब्याज	19089		1068361
विजया बैंक के साथ शेष अब बैंक ऑफ बड़ौदा	90867		90867
योग	20001100		18851650
अनुसूची - 10			
निवेश - अन्य	शून्य	शून्य	

33



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्			
31.3.2022 के तुलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां			
	चालू वर्ष	(राशि - ₹० में)	
	2021-22	2020-21	
अनुसूची - 12			
विक्री / सेवाओं से आय			
1. विक्री से आय			
क. प्रकाशन की विक्री से आय	233500	149000	
ख. रद्दी कागज से आय	0	0	
ग. आरटीआई शुल्क	4770	786	
2. सेवाओं से आय			
क. मजदूरी एवं प्रसंस्करण शुल्क			
ख. व्यावसायिक/परामर्श सेवाएं			
ग. अन्य(परामर्श शुल्क ₹.3131405/- + मोपअप-₹.0/- घटा बैंक शुल्क 37/- + मोपअप 0/- वापस किया जाएगा)			
		4406541	
योग (1 + 2) प्राप्ति और भुगतान खाते में अंतरित	238270	4556327	
योग आय और व्यय खाते में अंतरित	238270	4556327	
अनुसूची - 13			
अनुदान / सहायिकी (अप्रतिसंस्तरणीय अनुदान और प्राप्त सहायिकी)			
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	
	2021-22	2020-21	
(क) प्रारंभिक शेष	6336839	14688334	
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त	33922153	17152000	
(ग) घटाएं (i) खरीदी गई परिसंपत्तियां			
(ii) वर्ष के अंत में अव्ययित राशि	3891928	6336839	
निवल शेष राशि जिसे आय एवं व्यय खाते में अंतरित किया गया	36367064	25503495	
* चालू वर्ष के दौरान परामर्श शुल्क अनुसूची-14 में दर्शाया गया है			
वेतन-33,16,462/- सामान्य -5,75,466/-			



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्			
31.3.2022 के तुलन पत्र की अगभूत अनुसूचियां			
			(राशि-रु० में)
अनुसूची - 14	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	
शुल्क / अंशदान	2021-22	2020-21	
1. परामर्श शुल्क रु.3131405/- + मॉप अप-रु.0/- घटा बैंक शुल्क 37/-+ एमओपी वापस किया जाना है 0/-	3131368		0
2. पंजीकरण शुल्क	70976		90691
3. निजी पशु चिकित्सा महाविद्यालय से वीसीआई नियमों के तहत आवेदन शुल्क	750000		
प्राप्तियों और भुगतान खाते में अंतरित	3952344		90691
आय और व्यय खाते में अंतरित शेष	3952344		90691
अनुसूची - 15	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	
निवेश से आय (चिन्हित /अक्षय निधि से निवेश से हुई आय निधियों में अंतरित)	2021-22	2020-21	
	0		0
अनुसूची - 16			
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय।	0		0



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)					
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद					
31.3.2022 के तलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियाँ					
			(राशि-₹० में)		
अनुसूची - 17	चालू वर्ष	पिछला वर्ष			
अजित ब्याज	2021-22	2020-21			
1. सावधि जमा पर					
क. अनुसूचित बैंकों के साथ (वीसीआई परीक्षा कोष)/					
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	5706954	11396905			
जोड़ें: प्रोद्भूत ब्याज/टीडीएस (अंतिम शेष राशि)	3650201	2984705			
घटाएं: प्रोद्भूत ब्याज (प्रारंभिक शेष राशि)	2984705	6372450	5336225	9045385	
कुल	6372450	9045385			



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्			
31.3.2022 के तलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां			
			(राशि-रु० में)
	अनुसूची - 18	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	अन्य आय	2021-22	2020-21
1. निर्यात प्रोत्साहन की वसूली			
2. विविध सेवाओं के लिए शुल्क			
3. विविध आय/प्राप्तियां			
क. विविध प्राप्तियां अर्थात् लैपटॉप की लागत की चुकौती		0	0
ख. निजी पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से खोलने/मान्यता अनुमति के लिए आवेदन शुल्क			600000
	कुल	0	600000
	अनुसूची - 19		
	तैयार माल तथा चालू कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	शून्य	शून्य
* चालू वर्ष के दौरान निजी पशु चिकित्सा महाविद्यालय हेतु आवेदन शुल्क अनुसूची-14 में दर्शाया गया है.			



भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)						
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद						
31.3.2022 के तलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां						
अनुसूची - 21	चालू वर्ष	2021-22	पिछला वर्ष	2020-21	(राशि-रु० में)	
	योजना अनुदान	परीक्षा निधि	कुल	योजना अनुदान		परीक्षा निधि
	कुल	कुल	कुल	कुल		
अन्य प्रशासनिक व्यय						
खरीद	0	0	0	0	0	
श्रम एवं संसाधन प्रभार	0	0	0	0	0	
दुलाई तथा सवारी भाड़ा	0	0	0	0	0	
बिजली एवं उर्जा	586550	0	586550	547300	547300	
जल प्रभार	11990	0	11990	0	0	
बीमा	8973	0	8973	4331	4331	
मरम्मत और रखरखाव	1672673	0	1672673	1908475	1908475	
किराया, दरें एवं कर	3594930	0	3594930	3429314	3429314	
वाहनों का संचालन एवं रखरखाव	100571	0	100571	41241	41241	
डाक व्यय	112508	0	112508	31683	31683	
टेलीफोन शुल्क	138814	0	138814	135159	135159	
मृदण शुल्क	168113	0	168113	9889	9889	
स्टेशनरी	160452	0	160452	89769	89769	
यात्रा व परिवहन व्यय	7435628	0	7435628	1055146	1055146	
संगोष्ठी/कार्यशाला/राष्ट्रीय संगोष्ठी/ओटीपी पर व्यय	500986	0	500986	30888	30888	
मतदाता सूची	0	0	0	532675	532675	
लेखा परीक्षक शुल्क	80600	0	80600	143195	143195	
आतिथ्य सत्कार पर व्यय	181133	0	181133	395965	395965	
व्यावसायिक/कानूनी शुल्क	1850385	0	1850385	0	0	
विज्ञापन और प्रचार	2389	0	2389	147333	147333	
राजभाषा व्यय	0	0	0	2992687	2992687	
सीबीएसई को प्रश्न पत्र सेट-II का मृदण	313554	0	313554	0	0	
अन्य कार्यालय व्यय	1756782	0	1756782			
परामर्श व्यय						
अगले पत्र पर जारी	18677031	0	18677031	11495050	11495050	



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् 31.3.2022 के तलन पत्र की अंगभूत अनसवियां						
अनुसूची - 21	चालू वर्ष	2021-22	पिछला वर्ष	2020-21	(राशि-रु० में)	
अन्य प्रशासनिक व्यय	योजना अनुदान	परीक्षा निधि	कुल	योजना अनुदान	परीक्षा निधि	कुल
(सिखले पृष्ठ से जारी)	18677031	0	18677031	11495050	0	11495050
बैंक प्रभार	5857	649	6506	5697	649	6346
आई.टी.पी. आर	1036000		1036000			0
अनुवाद और टंकण शल्क			0			0
पुस्तकें व पत्रिकाएँ			0			0
विविध व्यय	55218		55218	48084		48084
कुल (क)/	19774106	649	19774755	11548831	649	11549480
जोड़: डाक का प्रारंभिक स्टॉक	0	47594	47594	0	47594	47594
पूर्व प्रदत्त डाक का प्रारंभिक स्टॉक	0	0	0	0	0	0
देय विद्युत प्रभार	46850	0	46850	0	0	0
देयअनुक्षण प्रभार	112101	0	112101	0	3868545	3868545
देय टेलीफोन प्रभार	4636	0	4636	0	0	0
लेखा परीक्षा शल्क के लिए प्रावधान	81000	0	81000	0	0	0
कानूनी और व्यावसायिक शल्क के लिए देय	0	0	0	0	0	0
टीए/डीए के लिए देय	473538	0	473538	0	0	0
स्पीड पोस्ट केंद्र के लिए डाक	4515	0	4515	0	0	0
अनुवाद और टाइपिंग के लिए देय	0	0	0	0	0	0
मुद्रण शल्क के लिए देय	0	0	0	0	0	0
देय बैठक व्यय	87868	0	87868	0	0	0
हुडको अग्रिम से समायोजित सुरक्षा गार्ड के लिए देय	0	0	0	0	1132981	1132981
एनआईसी के अनुसार एसएसएल प्रमाणपत्र के लिए देय परामर्श व्यय	8496		8496			0
कुल (ख)	819004	47594	866598	0	5049120	5049120
घटा: डाक टिकटों का अंतिम स्टॉक	0	47594	47594	0	47594	47594
प्रोपिड डाक टिकटों का अंतिम शेष	0	0	0	0	0	0
प्रदत्त रखरखाव शल्क	0	0	0	0	1487714	1487714
प्रदत्त टेलीफोन शल्क	0	0	0	0	0	0
विजली शल्क देय	0	0	0	0	0	0
लेखापरीक्षा शल्क के लिए प्रावधान	0	0	0	139710	0	139710
वैमानिक शल्क देय	0	0	0	0	0	0
कानूनी और व्यावसायिक देय	39125	0	39125	0	0	0
टीए / डीए के लिए देय	0	0	0	0	0	0
डाक	0	0	0	0	0	0
प्रश्न पत्र सेट- II की छपाई के लिए देय का भुगतान	0	0	0	2992687	0	2992687
अनुवाद और टंकण प्रभार	0	0	0	0	0	0
सुरक्षा गार्ड को देय का भुगतान	0	0	0	0	1132981	1132981
विज्ञापन के लिए देय (वृत्तचित्र फिल्म)	720000	0	720000	0	0	0
कुल (ग)	759125	47594	806719	3132397	2668289	5800686
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (क + ख - ग)	19833985	649	19834634	8416434	2381480	10797914



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)		(राशि-रु० में)	
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्		पिछला वर्ष	
31.3.2022 के तलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां		2020-21	
		चालू वर्ष	2021-22
अनुसूची - 22			
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय			
		0	0
अनुसूची - 23			
ब्याज		0	0



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संस्था का नाम – भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्
31.3.2022 के तुलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची – 24 खातों तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों पर टिप्पणियाँ

1. राजस्व की स्वीकृति:

खाते मूल लागत परिपाटी तथा प्रोद्भवन के आधार पर बनाए जाते हैं। समस्त व्यय, परिसम्पत्तियों और देनदारियों का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है। हालांकि, सहायता अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण पत्र वास्तविक भुगतान के आधार पर दिए जाते हैं, अतः व्यय पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से दिखाए गए हैं।

2. स्थिर परिसम्पत्तियाँ और मूल्यहास:

स्थिर परिसम्पत्तियों का मूल्य लगाते समय लागत में से संचित मूल्यहास को घटा दिया गया है। वर्ष के लिए स्थिर परिसम्पत्तियों का मूल्यहास परिसम्पत्तियों के घटे हुए मूल्य पर, निम्नलिखित दरों पर लगाया गया है:

मद	मूल्यहास की वस्तु दर
भवन	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	10%
वाहन	15%
कार्यालय उपकरण	15%
कंप्यूटर	40%
विद्युत उपकरण (यूपीएस)	40%
श्रव्य दृश्य सामग्री	15%

मूल्यहास की उपरोक्त दर को आयकर नियम से अपनाया गया है जैसा कि आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट में प्रदान किया गया है। स्थिर परिसम्पत्तियों में सहायता अनुदान, चिन्हित निधि तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् – परीक्षा निधि से निर्मित परिसम्पत्तियाँ शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के नियमों के अनुसार कार्यालय उपस्कर जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर तथा अन्य कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए उपयोग किये जाने वाले ऐसे उपकरणों को स्थिर परिसंपत्तियां नहीं माना गया तथा ऐसी राशि को राजस्व व्यय के रूप में दिखाया जाता था, वित्त वर्ष 2021-22 के बाद से इसे गैर-आवर्ती राजस्व व्यय के रूप में सामान्य शीर्ष के तहत पीएफएमएस सिस्टम पर दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष जिन परिसंपत्तियों का निवल ब्लाक शून्य है, उन्हें सकल ब्लाक की सूची से भी हटा दिया गया है ताकि अनुसूची-8 में परिसंपत्तियों की सही और वास्तविक तस्वीर दर्शाई जा सके।

3. सहायता अनुदान से अर्जित की गई स्थिर परिसंपत्तियों के लेखांकन का तरीका:

लेखा वर्ष के दौरान परिषद् को कोई पूंजीगत अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

4. कराधान की स्थिति:

जैसा कि लेखापरीक्षा में पाया गया कि वीसीआई द्वारा उत्पन्न निधि भारत की सार्वजनिक निधि है, अतः चालू लेखा वर्ष के दौरान कराधान लागू नहीं होता है।



5. निवेश:

परिषद् ने सावधि जमा/मियादी जमा खाते में जमा राशि के अतिरिक्त कोई अन्य निवेश नहीं किया है।

6. मूल/पूँजीगत निधि:

इसमें, प्रमुख रूप से वर्ष 2016 तक आयोजित अखिल भारतीय प्री-वेटरिनरी टेस्ट के व्यय से अधिक आय के कारण संचित शेष राशि और उसके बाद बी.वी.एससी. और ए.एच. पाठ्यक्रम हेतु 15% सीटें भरने के लिए एकत्रित परामर्श शुल्क और सहायता अनुदान से अर्जित स्थिर परिसंपत्तियों के निवल मूल्य और चिन्हित निधि से अंतरित स्थिर परिसंपत्तियों के निवल मूल्य दर्शाए गए हैं।

7. सेवानिवृत्ति लाभ:

परिषद् ने पेंशन संबंधी देनदारियों, जिसमें छुट्टी नकदीकरण और उपदान भी शामिल है, को पूरा करने के लिए एक पेंशन निधि, उपदान और छुट्टी नकदीकरण निधि स्थापित की है, जिसके लिए शुद्ध देनदारी/मूल निधि/परिसम्पत्तियों को परिषद् के वित्तीय विवरणों में 31.3.2022 तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया गया है।

8. आकस्मिक देनदारियां:

तुलन पत्र की तारीख के अनुसार वित्तीय विवरण में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

9. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन और उनका प्रभाव:

वर्ष के दौरान खातों को समरूपी लेखा प्रारूप में तैयार किया गया है, जो दिनांक 1.4.2001 से अथवा इसके बाद से केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों पर लागू होते हैं। जबकि, वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के जी.पी.एफ. खाते, छुट्टी नकदीकरण और उपदान निधि और पेंशन निधि को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के मुख्य तुलन पत्र में शामिल कर लिया गया है।

10. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, लेखाकरण की प्रोद्भवन प्रणाली के सिद्धान्त और सक्रिय संस्थान की संकल्पना, समतुल्यन सिद्धान्त और सुसंगतता को बनाए रखा गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के किसी मूल्य के लिए किसी भी संस्था/सरकारी संगठन को भुगतान की गई अग्रिम राशि को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम माना गया है, क्योंकि उनका कार्य तुलन पत्र की तारीख तक कार्य पूरा नहीं किया गया है।

11. बैंक के चालू खाते, बचत खाते और जमा खातों में जमा बैंक राशि का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

12. वर्तमान परिसम्पत्तियों में हाथ में डाक टिकट, नकदी और बैंक में जमा राशि, प्रोद्भूत ब्याज तथा पूर्व-प्रदत्त व्यय, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम और उन राशियों को शामिल किया गया है जिनका वसूली मूल्य कारोबार के सामान्य क्रम में कम-से-कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

13. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक था, पुनःसमूहित कर दिया गया है।

14. आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया गया है।

15. इस परिषद् की ओर से बचाव के लिए विभिन्न अदालती मामलों में उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए विभिन्न वकीलों को बकाया कानूनी शुल्क देय है। अन्य बकाया व्यय में चिकित्सा बिल, टेलीफोन बिल, रखरखाव बिल, और अन्य बिल शामिल हैं, जैसाकि वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है।

16. अन्य सूचना:

(i) कोई अदावाकृत निधि नहीं है।

(ii) आग लगने, चोरी और गबन के कारण नकदी की कोई क्षति नहीं हुई है।



17. वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क के आधार पर किया गया है।
18. जैसा कि सीपीडब्ल्यूडी ने कार्य पूरा कर लिया है, किन्तु कार्य पूरा होने के संबंध में अंतिम बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अतः कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी को दिया गया अग्रिम रु. 2307370/- को अब तक तुलन पत्र के दिन अग्रिम के खिलाफ व्यय के रूप में नहीं लिया गया है।
19. चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले परामर्श शुल्क एवं आवेदन शुल्क को शुल्क/अंशदान से संबंधित अनुसूची-14 में दर्शाया गया है।
20. पिछली अवधि की मदों में बिलों की गैर-स्वीकार्यता के कारण बड़े खाते में डाली गई देनदारियां शामिल हैं क्योंकि बिलों के दावे अधिक थे, समायोजित मदों का विवरण है (चिकित्सा व्यय रु.38,402/-, कानूनी व्यय श्री एच.एस. राजपूत (रु. 20960- रु.19325=1635/-), गार्ड के लिए एचएससी- रु.438907/- तथा वृत्तचित्र फिल्म रु. 80,000/-)।



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्			
31.3.2022 के तलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां			
			(राशि-₹ में)
		चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
अनुसूची - 25			
कोई अन्य रसीद (प्राप्तियां और भुगतान खाता)			
अन्य/आकास्मिक अग्रिमों का समायोजन (मुख्य खाता-₹./-+ परीक्षा-₹.9000/-		0	0
परामर्श शुल्क (वापसी योग्य मोपप राउंड शुल्क)		9000	0
विविध देनदारियां (पिछली लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार पराने चेक) मुख्य खाता		0	0
विविध देनदारियां (पिछली लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार पराने चेक) परीक्षा खाता		168966	5630438
		253455	0
कुल		431421	5630438



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (नाम निरपेक्ष सस्या)					
सस्या का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्					
31.3.2022 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्त और भगतान					
प्राप्ति	चालू वर्ष 2021-22	(राशि-रु० में) पिछला वर्ष 2020-21	भगतान	चालू वर्ष 2021-22	(राशि-रु० में) पिछला वर्ष 2020-21
प्रारंभिक शेष			1 व्यय		
क) हाथ में नकद	15	607	क) स्थापना व्यय	16592958	14173251
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय		
			(अनुसूची 21 के अनुरूप)	19774755	11549480
			ग) परीक्षा व्यय		
i) चालू खातों में	41810556	39503239	(अनुसूची 22 के अनुरूप)		
ii) एफडी खातों में (केवल एफडी परीक्षा)	182888310	171508647	घ) सतत पशु चिकित्सा शिक्षा		
iii) बचत खाते			(अनुसूची 27 के अनुरूप)		
			iii) विभिन्न परियोजनाओं के लिए		
			निधि का विवरण दिया गया भगतान		
ii प्राप्त अनदान			(निधि या परियोजना का नाम)		
			प्रत्येक परियोजना के लिए		
			दिए गए भगतान के विवरण के साथ		
			दिखाया जाना चाहिए		
ख) राज्य सरकार से	33922153	17152000			
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)					
(पूजी और राजस्व व्यय के लिए अनदान अलग से दिखाया जाए)			iii निवेश और जमा किया गया		
iii से निवेश पर आय					
क) चिन्तित/अक्षयनिधि	2198722		क) चिन्तित/अक्षयनिधि में से	2198722	
(अलग अनुसूची-3)			निधियाँ (अलग अनुसूची-9)		
ख) स्वयं के फंड (अन्य निवेश)			ख) स्वयं की निधि में से (अन्य - निवेश)		
अगले पेज पर जारी	260819756	228164493	अगले पृष्ठ पर जारी	38586435	25722731



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)					
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्					
31.3.2022 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति और भुगतान					
प्राप्तिया	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
पूर्व पृष्ठ से जारी	260819756	228164493	पूर्व पृष्ठ से जारी	38566435	25722731
IV प्राप्त ब्याज (अनुसूची-17)			IV अचल संपत्तियों और पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय		
क) बैंक जमा पर	5706954	11396905	क) अचल संपत्तियों की खरीद (अनुसूची - 8)	0	0
ख) ऋण, अग्रेम आदि			ख) पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय		
V अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			V अपिशेष/अनुदान/धना/ऋण की वापसी		
क) विक्री/सेवाएं (अनुसूची - 12)	238270	4556327	क) भारत सरकार को (अनुसूची 13)		
ख) शुल्क/सदस्यता (अनुसूची - 14)	3952344	90691	ख) राज्य सरकार को		
ग) विविध प्राप्ति (अनुसूची- 18)	0	600000	ग) धन के अन्य प्रदाताओं को		
VI उधार ली गई राशि			VI वित्त प्रभार (ब्याज)		
VII कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें) (अनुसूची 25)	431421	5630438	VII अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें) (अनुसूची- 26)	5742938	17242
			VIII अंतिम शेष		
			क) हाथ में नकदी	15	15
			ख) बैंक शेष (अनुसूची-1 के अनुसार)		
			i) चालू खाते में	40353957	41810556
			ii) जमा खाते में परीक्षा/टीडीएस	186485400	182888310
कुल	271148745	250438854	कुल	271148745	250438854



अनुलग्नक 2021-22



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्			
31.3.2022 के तलन पत्र की अंगभूत अनुलग्नक			
अनुलग्नक - I	विवरण	चालू वर्ष 2021-22	(राशि-रु० में) पिछला वर्ष 2020-21
बैंक ऑफ बड़ोदा			
89830200001197 -वी.सी.आई. मुख्य खाता		12322696	13589395
89830200001297 सीवीई खाता		267800	267800
89830200001073 वीसीआई एस्को खाता		15634767	18196337
भारतीय स्टेट बैंक			
34835947937 (प्रारम्भिक शेष.9757024 घटा बैंक प्रभार 649/-)		9756375	9757024
कुल		37981638	41810556
बैंक ऑफ बड़ोदा			
89830200001550 परीक्षा खाता		2372319	-201821
कुल		40353957	-201821
सावधि जमा			
एसटीडीआर/टीडीआर/टीडीएस (परीक्षा कोष)		78437027	75763701
		17940337	17940337
		49862121	48130959
		17095915	16315134
		25000	22375000
		175000	2575000
		22950000	
कुल योग		186485400	183090131
घटाए: चेक प्रस्तुत करने पर स्वीप खाते से जारी किए गए चेक और बैंक द्वारा हस्तांतरित की गई राशि		0	201821
वित्तीय विवरण/बैलेंस शीट में स्थानांतरित एफडी की शुद्ध राशि		186485400	182888310



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् - पेंशन निधि			
31.3.2022 के तलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां			
अनुलग्नक - II	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	(राशि-रु० में)
मूलनिधि/ पूंजीगत निधि	162506944	149182299	
कुल	162506944	149182299	
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां			
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	162506944	149182299	
कुल	162506944	149182299	
नोट: निवल मूल निधि / परिसंपत्तियां खाते पर टिप्पणियों में बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार हैं			

53



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)				
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद - जी.पी.एफ				
31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र				
				(राशि-रु० में)
अनुलग्नक - III		चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	
मूल निधि/पूंजीगत निधि	अनुसूची 1	17085185		15502214
कुल		17085185		15502214
परिसंपत्तियां अचल परिसंपत्तियां चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	अनुसूची 2	17085185		15502214
कुल		17085185		15502214



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्			
31.3.2022 को वीसीआई के तलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां- जीपीएफ खाता			
अनुबन्ध - III (क)			
अनुसूची - 1 - जी.पी.एफ. खाता		चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
जी.पी.एफ (मूल निधि)			
प्रारंभिक शेष		15502214	14570513
जोड़ें:			
अंशदान /अग्रिम /वसूली		2032400	1898280
अभिदाता को प्रदत्त ब्याज		1081640	1007181
पिछले वर्ष अधिशेष से वर्ष के दौरान व्यय से अधिक अर्जित ब्याज		237077	263760
घटाएं: निकासी		18379177	17212214
		1293992	1710000
निवल मूल निधि		17085185	15502214
अनुसूची - 2 - चालू परिसंपत्तियां		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		2021-22	2020-21
वीसीआई खाते से प्राप्त ब्याज		526783	0
बैंक शेष (₹37,69,379/-) जमा सावधि जमा (₹1,19,83,602/-)		15752981	14936054
प्रदत्त ब्याज (अंतिम)		805421	566160
कुल		17085185	15502214



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)				
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् - जी.पी.एफ				
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय				
अनुलग्नक - III (ख)				
विवरण	चालू वर्ष	2021-22	पिछला वर्ष	2020-21
अर्जित ब्याज	78519		798975	
जोड़: प्रोद्भूत ब्याज (अंतिम)	805421		566160	
कुल	883940		1365135	
घटाएं: प्रोद्भूत ब्याज प्रारंभिक	566160		621714	
कुल		317780		743421
अनुदान खाते में वीसीआई अनुदान से प्राप्य ब्याज का अंतर		526783		0
कुल		844563		743421
अभिदाता को ब्याज		1081640		1007181
बैंक प्रभार		0		0
कुल		1081640		1007181
पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज से अधिक संचित ब्याज। संचय और बैलेंस शीट में अंतरित		-237077		-263760



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)					
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् - जी.पी.एफ					
31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान					
अनुलग्नक - III (ग)					
प्राप्तियां	चालू वर्ष 2021-22	(राशि-₹० में) पिछला वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	(राशि-₹० में) पिछला वर्ष 2020-21
प्रारम्भिक शेष					
बैंक शेष:-					
बचत खाता	2952616	2505405	निकासी द्वारा	1293992	1710000
सावधि जमा	11983438	11260518	बैंक प्रभार		
जी.पी.एफ. सदस्यता/अग्रिम वसूली	2032400	1898280			
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	164	722920			
बचत खाते पर अर्जित ब्याज	78355	76055			
पिछले वर्ष के लिए प्राप्य ब्याज	0	182876	अंतिम बैंक शेष द्वारा		
			बचत खाता (एसबीआई- 168685/- बैंक आफ बड़ोदा - 3600694/-)	3769379	2952616
			सावधि जमा	11983602	11983438
कुल	17046973	16646054	कुल	17046973	16646054



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् -- छद्दी नकदीकरण एवं उपदान			
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र			
अनुलग्नक - IV	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	(राशि-रु० में)
मूल निधि/पूजीगत निधि *	अनुसूची - I		
	25465552	23881952	
कुल	25465552	23881952	
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	अनुसूची - I		
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	25465552	23881952	
कुल	25465552	23881952	
नोट: मूल निधि/पूजीगत निधि खातों पर टिप्पणियों में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अनुरक्षित			



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् -			
31.3.2022 को वीसीआई के तलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां - छुट्टी नकदीकरण और उपदान			
अनुलग्नक - IV (क)	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	(राशि-रु० में)
अनुसूची - 1 (छुट्टी नकदीकरण और उपदान) S			
आरंभिक शेष (मूल निधि)	23881952		17258153
जोड़ें : अर्जित ब्याज रु. 1007838/-+ प्रोद्भूत ब्याज (अंतिम शेष रु.141884 /- घटा प्रोद्भूत ब्याज प्रारंभिक शेष राशि रु.283045 /-)			
	866677		982139
	24748629		18240292
जोड़ें: 31.3.21 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के लिए अंशदान रु. अगले वर्ष यानी 2021-22 के लिए सर्वांतिम उपदान 1405280/-+ ई.एल रु.1311643/-.			
	2716923		5641660
घटाएं:			
मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर प्रदत्त अवकाश नकदीकरण	0		0
मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर प्रदत्त उपदान	2000000		0
कुल *	25465552		23881952
अनुसूची - 2 (छुट्टी नकदीकरण और उपदान)			
चालू परिसंपत्तियां			
एफडीआर			
बैंक में नकद (बचत खाता)	16483783		17873403
बीमांकिक मूल्य के अनुसार वीसीआई खाते से प्राप्त अंशदान	481302		83844
प्रोद्भूत ब्याज (अंतिम शेष)	8358583		5641660
	141884		283045
कुल	25465552		23881952



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)					
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् -- छुट्टी नकदीकरण एवं उपदान					
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान					
अनूलग्नक - IV (ख)					
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
प्रारंभिक शेष					
हाथ में नकदी					
बैंक शेष					
i) बचत खाता	83844	81393			
ii) सावधि जमा	17873403	16955506			
			मृत्यु पर प्रदत्त उपदान	2000000	
प्राप्त व्याज					
i) बैंक से	7897	2451	अंतिम बैंक शेष	481302	83844
ii) सावधि जमा पर	999941	917897	बचत खाता	16483783	17873403
			सावधि जमा		
कुल	18965085	17957247	कुल	18965085	17957247



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् - नई पेंशन योजना			
31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र			
			(राशि-रु० में)
अनुलग्नक - V	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	
मूल निधि/पूजीगत निधि	अनुसूची - I	247256	1333186
कुल	247256		1333186
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	अनुसूची - II		
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	247256		1333186
कुल	247256		1333186



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्			
31.3.2022 को वीसीआई के तलन पत्र की अंगभूत अनुसूचियां - नई पेंशन योजना			
अनुलग्नक - V(क)	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	(राशि-रु० में)
अनुसूची - 1 (नई पेंशन योजना)			
आरंभिक शेष (मूल निधि)	1333186	1135132	
जोड़: (वर्ष के दौरान अंशदान जिसमें अर्जित व्यय शामिल है)	242178	198054	
कर्मचारी अंशदान + नियोजता अंशदान			
	1575364	1333186	
घटाएं: (प्रेषित कर्मचारी अंशदान 651496/- + नियोजता अंशदान रु. 676612/-)	1328108	0	
कुल	247256	1333186	
अनुसूची - 2 (नई पेंशन योजना)			
चालू परिसंपत्तियां	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	
	शून्य	शून्य	
बैंक में नकद (बचत खाता)	247256	1333186	
कुल	247256	1333186	



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (लाभ निरपेक्ष संस्था)					
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् - नई पेंशन योजना					
31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्त और भुगतान					
अनुलग्नक - V (ख)					
प्राप्तियां	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
प्रारंभिक शेष					
हाथ में नकदी					
बैंक शेष					
i) बचत खाता	1333186	1135132	कर्मचारी अंशदान रु. 651496/-		
ii) सावधि जमा			नियोक्ता अंशदान रु. 676612/-	1328108	
			अंतिम बैंक शेष राशि		
प्राप्त ब्याज					
i) बैंक खाता	36462	34526	बचत खाता	247256	1333186
ii) एफडी पर					
कर्मचारी अंशदान	90300	81764			
नियोक्ता अंशदान	115416	81764			
कुल	1575364	1333186	कुल	1575364	1333186



Dr. Umesh Chandra Sharma
President
Veterinary Council of India

FOREWORD

It gives me immense pleasure in presenting 30th Annual Report of Veterinary Council of India for the year ended 31st March, 2022. As the country is celebrating its 75 years of Independence "Azadi Ka Amrit Mahotasav", this Council also feels proud to be a partner in Nation Building. Animal Husbandry sector plays an important role in growth of economy of the country and role of veterinarians plays a major role by giving awareness and technical support to the farmers to increase income from livestock production. Veterinarians not only treat animals but also solve many problems which are being faced by owner of livestock during the rearing of different species. As the VCI is regulatory body for regulation of veterinary education and practice, hence, this Council role is very crucial in making a good veterinarian in the country.

During the year, Council conducted inspection of 60 veterinary colleges for assessing the physical facilities and quality of veterinary education being imparted at veterinary colleges. Council prepared and published Indian Veterinary Practitioners Register – 2020 containing name of 2594 registered veterinary practitioners. Further, Council recommended to the Central Government for issue of Letter of Permission for starting First and Second B.V.Sc.&A.H programme in respect of 7 veterinary colleges. For implementation of "EWS" and "OBC" quota under All India 15% quota to B.V.Sc.&A.H programme, annual intake has been increased from 80 seats to 100 seats at the veterinary colleges in consultation with Central Government. 761 seats to B.V.Sc.&A.H courses under 15% All India quota were allocated to the successful candidates by utilizing NEET(UG) Merit list, 2021 through online counselling.

Council has taken step for drafting of "Minimum Standards of Veterinary Practice Regulation" under Section 31 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 in order to regulate veterinary practice in the country and delivery of quality veterinary practice to the owner of livestock and animals. For this all States and U.T. Government and stake holders have been consulted.

This Council also feels that there is need for framing of minimum standard of veterinary education at Post Graduate and Doctrate level by Veterinary Council of India. In this regard, discussion has been held with Central Government and Administrative Ministry has extended support in the matter.

Finally, I on behalf of this Council place on record its gratitude to Administrative Ministry and officers of the Central Government for their help, guidance and support for the development of the veterinary profession and encouraging the activities of the Veterinary Council of India during the year. Further, this Council acknowledges its appreciation of the sincere and devoted Members, officers and staff of this Council during the year.

(Dr. Umesh Chandra Sharma)

Date:



भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22



Sr.No	Particulars	Page No.
1.	Introduction	1
2.	The Mandate of the Council	2
3.	List of the Members of the Veterinary Council of India	3
4.	Composition of various Committees	5
5.	List of meetings of the Council and its Committees held during 2021-22	6
6.	Achievements during the year 2021-22	6
7.	Implementation of Official Language	15
8.	Interface with the Department	16
9.	Court Cases	16
10.	Budget of the Council	17
11.	Audit of the Accounts of the Council	17
12.	List of Veterinary Colleges alongwith the Universities in respect of which the B.V.Sc & A.H. Degree is recognized under Indian Veterinary Council Act, 1984 (as on 31.03.2022).	18
13.	Task Ahead	22
14.	Separate Audit Reports of the CAG of India on the Accounts of Veterinary Council of India for the year ended 31.03.2022	23
15.	Financial Statements of the Council for the year 2021-22	27



भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22



1. Introduction

The Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) was enacted in 1984 and was published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 21st August, 1984 to regulate veterinary practice and to provide for that purpose for the establishment of Veterinary Council of India and State Veterinary Councils, and the maintenance of Register of veterinary practitioners and for matters connected therewith and ancillary thereto. Subsequent to enactment of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the Central Government (Ministry of Agriculture) vide Gazette Notification S.O. No. 2051 dated 2nd August, 1989, for the first time constituted the Veterinary Council of India by nominating the Members as per the provisions of section 3 read with section 4 of the Act, and rule 23 of Indian Veterinary Council Rules, 1985. Subsequently, elections and nominations of members to the Council have been held/made by the Central Government as provided in the said Act, from time to time.

The Veterinary Council of India is a body corporate consisting of 27 Members - five Members nominated by the Central Government from amongst the Directors of Animal Husbandry of those States to which the Act extends, four Members from amongst the heads of Veterinary Institutions in the States to which the Act extends, one Member nominated by the Indian Council of Agricultural Research, one Member to represent the Ministry of the Central Government dealing with Animal Husbandry, one Member nominated by the Indian Veterinary Association, one Member nominated from amongst the Presidents of the State Veterinary Councils of those States to which this Act extends and one Member nominated from amongst the Presidents of the State Veterinary Associations of those States to which this Act extends. Eleven members are elected from amongst the persons enrolled in the Indian Veterinary Practitioners Register. Animal Husbandry Commissioner, Government of India and Secretary, Veterinary Council of India are the Ex-officio Members of the Council.

The Council receives grants-in-aid from the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India under Professional Efficiency Development Programme scheme for undertaking its activities.

In exercise of the authorities vested under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the Council, with the approval of the Central Government, has framed the following Regulations to carry out the purposes of the Act:-

1. Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991.
2. Veterinary Council of India (General) Regulations, 1991.
3. Veterinary Council of India (Registration) Regulations, 1992.
4. Veterinary Council of India (Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics for Veterinary Practitioners) Regulations, 1992.
5. Veterinary Council of India (Fees and Allowances) Regulations, 1992.
6. Veterinary Council of India (Election of the President and Vice President) Regulations, 1995.
7. Veterinary Council of India (Terms and Conditions of services of Officers and other Employees) Regulations, 2001.



8. Veterinary Council of India (Registration) (Amendment) Regulations, 2001,
9. Veterinary Council of India (General) (Amendment) Regulations, 2005, and
10. Veterinary Council of India (Minimum Standards of Veterinary Education)- Degree Course (B.V.Sc. & A.H.) Regulations, 2016.

As a part of its statutory obligations, the Council has prepared the Indian Veterinary Practitioners Register containing the names of the persons possessing recognized veterinary qualifications and for the time being enrolled on the State Veterinary Register to which the Act extends. Supplements to the Register are published annually based on the information provided by the State / UT Veterinary Councils.

In order to regulate veterinary practice in the country, the Council has prepared the Veterinary Practice Regulations and submitted to the Central Government for approval. On implementation of these Regulations, the Council shall be able to bring improvement, uniformity and ensure quality of veterinary services.

The standards of veterinary education at degree course level are uniformly maintained in all the Veterinary Colleges in the country through the implementation of the Minimum Standards of Veterinary Education - Degree Course (BVSc & AH) Regulations, 2016 framed by the Council. Further, to ensure proper implementation of these Regulations, the Council gets the facilities available in the Veterinary Colleges in regard to infrastructure, manpower, equipment, livestock farms, teaching veterinary clinical complex etc. and the examination process inspected periodically through appointment of Inspectors as provided in the said Act.

As per the provisions of regulation 7(8) of the Minimum Standards of Veterinary Education - Degree Course (BVSc & AH) Regulations, 2016, the Council conducted counseling for filling up 15% of the total number of seats in the Veterinary Colleges for B.V.Sc. & A.H. degree course.

2. The mandate of the Council

- ❖ To prepare and maintain the Indian Veterinary Practitioners' Register containing the names of the persons who possess the recognized veterinary qualifications and who are for the time being enrolled on a State veterinary register of the State to which Indian Veterinary Council Act, 1984 extends.
- ❖ To regulate veterinary practice in the country.
- ❖ To lay down minimum standards of veterinary education required for granting recognized veterinary qualifications by veterinary institutions in those States to which this Act extends.
- ❖ To recommend recognition or withdrawal of recognition of veterinary qualifications granted by veterinary institutions in India.
- ❖ To lay down the standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by veterinary practitioners.



- ❖ To negotiate with institutions located in other countries imparting training in veterinary education for recognition of their qualifications on reciprocal basis.
- ❖ To advise the Central and the State Governments on all regulatory matters concerning veterinary practice and education.

As per the provisions of Section 62 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the accounts of the Council are to be audited by the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in his behalf annually. Accordingly, the representatives of the Director General of Audit (Agriculture, Food & Water Resources), 8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi audited the annual accounts of the Council. The audited accounts along with Audit Certificate and Annual Report of the Council are submitted to the Central Government for laying them on the Tables of both the Houses of Parliament.

The Council now submits its 30th Annual Report including audited annual accounts and Audit Certificate for the year 2021-22 as per the provisions of Section 62 of the Indian Veterinary Council Act, 1984.

3. List of the Members of the Veterinary Council of India as on 31.03.2022

S.No.	Name and Address of the Members	Membership
1.	Dr. Umesh Chandra Sharma, E-7/1, Char imli, Bhopal, Madhya Pradesh	President
2	Dr. Pardeep Kumar Yadav, Senior Veterinary Officer, Central Animal Facility, Ansari Nagar, AIIMS, New Delhi.	Vice President
3.	Dr. Amit Nain, Village Bodiwala Pitha, P.O. Khul-Khera, Tehsil Fazilka, District Ferozpur, Punjab -152121	Member
4	Dr. Devi Shankar Rajoria, 42, Usha Vihar, Near Treveni Nagar, Gopalpura by Pass, Jaipur-302018, Rajasthan	Member
5	Dr. Ingale Sandip Vinayakrao Mauli House, Near Shankar Nagar, Balaji Nagar, Amravati, Maharashtra - 444606	Member
6	Dr. Arun T.R., Techappully House, Post Office Vatanappally, Thrisuur, Kerala - 680614	Member
7	Dr. Ramesh R., No.4E, Krishnasamy Street 1 st Cross, New PET, Krishnagiri, Tamil Nadu - 635001	Member



8	Dr. Chirantan Kadian, V.S. HCBC, Pur Khas, District - Sonipat, Haryana - 131102.	Member
9	Dr. Kantharaju L., 408, Vyalikaval, HSBC, Next to Vinayaka Park, Vijayanagar, Bangalore, Karnataka-560040	Member
10	Dr. Vijay Kumar Jha, Flat No.202, Savttri Residency, Road No.10, East Patel Nagar, Patna, Bihar -800023	Member
11	Dr. Gurucharan Datta, Village Indas (Hajrapara), District Bankura, West Bengal - 722205	Member
12	Dr. B.S. Laura, Director, Department of Animal Husbandry, Government of Haryana	Member
13	Dr. Narayan Purushottam Dakshinkar Vice Chancellor, Chhattisgarh Kamdhenu University, Durg, Chhattisgarh	Member
14	Dr. N. H. Kelawala, Vice Chancellor, Kamdhenu University Gandhinagar, Gujarat	Member
15	Dr. B.N. Tripathi, DDG (Animal Sciences) Indian Council of Agriculture Research (ICAR), New Delhi	Member
16	Dr. Praveen Malik, Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India	Member
17	Dr. Sulekha S.L. Assistant Commissioner (AH), Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Krishi Bhawan, New Delhi	Member
18	Dr. Dal Chand Verma President, State Veterinary Council, Uttar Pradesh	Member
19	Dr. Dandeswar Deka Assam Animal Husbandry & Veterinary Services, Association	Member



4.(A) Composition of various Committees constituted by the Council as per the provisions of Section 12(1) of the Indian Veterinary Council Act, 1984 is as below:-

Executive Committee

1.	Dr. Umesh Chandra Sharma	-	President, VCI
2.	Dr. Pradeep Kumar Yadav	-	Vice-President, VCI
3.	Dr. Ingle Sandip Vinayakrao	-	Member
4.	Dr. Amit Nain	-	Member
5.	Dr. R. Ramesh	-	Member
6.	Dr. N.H. Kelawala	-	Member
7.	Dr. Sulekha S.L.	-	Member
8.	Dr. N.P. Dakshinkar	-	Member

Education Committee

1.	Dr. N.P. Dakshinkar	-	Member
2.	Dr. N.H. Kelawala	-	Member
3.	Dr. Praveen Malik	-	Member
4.	Dr. B.N. Tripathi	-	Member

Finance Committee

1.	Dr. B.S. Laura	-	Chairman
2.	Dr. Kantharaju L	-	Member
3.	Dr. Gurucharan Dutta	-	Member
4.	Dr. Arun T.R.	-	Member
5.	Dr. D.C. Verma	-	Member

Registration Committee

1.	Dr. Gurucharan Dutta	-	Chairman
2.	Dr. Vijay Jha	-	Member
3.	Dr. Dharmeshwar Deka	-	Member
4.	Dr. Devi Shankar Rajoria	-	Member
5.	Dr. Arun T.R.	-	Member

**Disciplinary/Liaison Committee**

- | | | | |
|----|-------------------|---|--------|
| 1. | Dr. D.C. Verma | - | Member |
| 2. | Dr. B.N. Tripathi | - | Member |
| 3. | Dr. Vijay Jha | - | Member |

Regulation Committee

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---------------------|
| 1. | Dr. Pradeep Kumar Yadav | - | Vice-President, VCI |
| 2. | Dr. Praveen Malik | - | Member |
| 3. | Dr. Sulekha S.L. | - | Member |

5. LIST OF MEETINGS OF THE COUNCIL AND ITS COMMITTEES HELD DURING 2021-22 :

S.No.	Council/Committees	Date of Meeting
1	Veterinary Council of India	10.08.2021, 17.09.2021, 13.12.2021, 09.03.2022
2	Executive Committee	08.07.2021, 28.07.2021 28.08.2021, 14.10.2021 06.12.2021, 22.12.2021
3	Finance Committee	28.09.2021,
4	Education Committee	27.08.2021,
5	Registration Committee	24.08.2021
6	Regulation Committee	27.09.2021

6. ACHIEVEMENTS DURING THE YEAR 2021-22:**6.1 Registration****(a) Publication of Supplement to Indian Veterinary Practitioners' Register – 2020**

As per the provisions of Section 23 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the Council prepared the Supplement to the Indian Veterinary Practitioners' Register 2020 containing names of 2594 veterinary practitioners who possess recognized veterinary qualifications included in the First or Second Schedules to the Act, and for the time being are enrolled in the State/UT Veterinary



Councils of the States/UTs to which this Act extends. The names have been sent to Controller of Publication, Department of Publication, Ministry of Urban Development, Govt. of India, for publication in the Extra-ordinary Gazette of India and same was published in Extra-ordinary Gazette of India (Part-III, Section-4) on 15.11.2021 vide Gazette Notification No.62.

(b) Registration with Veterinary Council of India

The Council has made 722 numbers of registrations of veterinary practitioners desirous of registering their names with Veterinary Council of India as per section 24 of Indian Veterinary Council Act, 1984 and as provided by Veterinary Council of India (Registration) Regulations, 1992. However, the primary requirement of registration with the State/UT Veterinary Council was ensured before such registration.

(c) Transfer of Registration of registered veterinary practitioners

Section 52 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 provides transfer of registration of registered veterinary practitioner from one State to another State. The Council received 422 applications for transfer of registration from one State to another State from the veterinary practitioners during the year. The Council issued directions to the concerned State/U.T. Councils for transfer of registration from one State to another State as provided under the aforesaid Section.

6.2 Regulation of Educational Standards in Veterinary Colleges

(a) Inspection of Veterinary Colleges

In order to regulate the standards of veterinary education in the country and to ensure implementation of the Minimum Standards of Veterinary Education – Degree Course (B.V.Sc. & A.H.) Regulations, 2016, the Council carries out inspections of the Veterinary Colleges in respect of the facilities available for imparting veterinary education and the examinations leading to award of B.V.Sc. & A.H. qualification periodically.

As per the Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991, the comments of the Universities on the deficiencies/inadequacies as pointed out by the Inspectors are obtained and the Reports along with the comments of the Universities are examined in the Council. The decisions are implemented by way of following up with the University authorities for fulfillment of the minimum requirements as prescribed in the Regulations.

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 19 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the Council got the facilities available at the following Veterinary Colleges under/affiliated to various Universities inspected for the adequacy of the standards of veterinary education including infrastructure, manpower, equipment, training and other facilities



for imparting veterinary education and the examinations leading to award of B.V.Sc. & A.H. qualification during the year 2021-22:-

Inspection of Colleges:

Sr.No.	Name of College	Name of University	Date of inspection
1	R.R. College of Veterinary and Animal Sciences, Deoli, Rajasthan	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner	24 - 26 June, 2021
2	Sanskaram College of Veterinary and Animal Science, Jhajjar	Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar	15 - 17 July, 2021
3	Dr. G.C. Negi College of Veterinary and Animal Sciences, Palampur	CSK Himachal Pradesh Krishi Vishwavidyalay, Palampur	01 - 03 September, 2021
4	College of Veterinary & Animal Sciences, Pantnagar	Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar	01- 03 September, 2021
5	Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry, Jammu	Sher-e Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology, Jammu	01- 03 September, 2021
6	Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry, Srinagar	Sher-e Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology, Srinagar	01- 03 September, 2021
7	RPS College of Veterinary Sciences, Mahendergah, Haryana	Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar	08 - 10 September, 2021
8	College of Veterinary Science, Guwahati	Assam Agricultural University, Jorhat	13 to 15 September, 2021
9	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Ranchi	Birsa Agricultural University, Ranchi	13 to 15 September, 2021
10	College of Veterinary Science, Hyderabad	P.V. Narsimha Rao Telangana Veterinary University, Hyderabad	13 to 15 September, 2021
11	College of Veterinary Science, Korutla	P.V. Narsimha Rao Telangana Veterinary University, Hyderabad	13 to 15 September, 2021
12	Mumbai Veterinary College, Mumbai	Maharashtra Animal & Fishery Sciences University, Nagpur	15 - 17 September, 2021
13	Nagpur Veterinary College, Nagpur	Maharashtra Animal & Fishery Sciences University, Nagpur	15 - 17 September, 2021



14	College of Veterinary & Animal Sciences, Parbhani	Maharashtra Animal & Fishery Sciences University, Nagpur	15 - 17 September, 2021
15	K.N.P. College of Veterinary Science, Shirwal, Satara	Maharashtra Animal & Fishery Sciences University, Nagpur	15 - 17 September, 2021
16	College of Veterinary & Animal Sciences, Udgir	Maharashtra Animal & Fishery Sciences University, Nagpur	15 - 17 September, 2021
17	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Faizabad	Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya	15 - 17 September, 2021
18	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Mathura	Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyay Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalay Evam Go- Anusandhan Sansthan, Mathura	15 - 17 September, 2021
19	ICAR- Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Bareilly	Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Bareilly	15 - 17 September, 2021
20	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Anand	Kamdhenu University, Gandhinagar, Gujarat	16 - 18 September, 2021
21	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Sardarkrushinagar	Kamdhenu University, Gandhinagar, Gujarat	16 - 18 September, 2021
22	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Navsari	Kamdhenu University, Gandhinagar, Gujarat	16 - 18 September, 2021
23	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Junagadh	Kamdhenu University, Gandhinagar, Gujarat	16 - 18 September, 2021
24	Kamdhenu Veterinary College, Rajpur, Himatnagar	Kamdhenu University, Gandhinagar, Gujarat	16 - 18 September, 2021
25	Veterinary College Hebbal, Bangalore	Karnataka Veterinary, Animal & Fisheries Sciences University, Bidar	20 to 22 September, 2021
26	Veterinary College Nandinagar, Bidar	Karnataka Veterinary, Animal & Fisheries Sciences University, Bidar	20 to 22 September, 2021



27	Veterinary College, Hassan	Karnataka Veterinary, Animal & Fisheries Sciences University, Bidar	20 to 22 September, 2021
28	Veterinary College Shimoga	Karnataka Veterinary, Animal & Fisheries Sciences University, Bidar	20 to 22 September, 2021
29	Veterinary College Gadag	Karnataka Veterinary, Animal & Fisheries Sciences University, Bidar	20 to 22 September, 2021
30	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Durg	Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Anjora, Durg	21 - 23 September, 2021
31	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Bhubaneswar	Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar	22 to 24 September, 2021
32	Rajiv Gandhi College of Veterinary & Animal Sciences, Puducherry	Pondicherry University, Puducherry	23 to 25 September, 2021
33	College of Veterinary Science & Animal Husbandry, R.K. Nagar, Tripura	Tripura University, Agartala	23 to 25 September, 2021
34	College of Veterinary and Animal Sciences, Meerut	Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut	23 to 25 September, 2021
35	NTR College of Veterinary Science, Gannavaram	Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati	27 to 29 September, 2021
36	College of Veterinary Science, Proddatur	Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati	27 to 29 September, 2021
37	College of Veterinary Science, Tirupati	Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati	27 to 29 September, 2021
38	Bihar Veterinary College, Patna	Bihar Animal Science University, Patna, Bihar	27 to 29 September, 2021
39	College of Veterinary Science & Animal Husbandry, Aizawl, Mizoram	Central Agricultural University, Imphal	27 to 29 September, 2021
40	Madras Veterinary College, Chennai	Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University, Chennai	27 to 29 September, 2021



41	Veterinary College & Research Institute, Namakkal	Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University, Chennai	27 to 29 September, 2021
42	Veterinary College & Research Institute, Orathanadu	Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University, Chennai	27 to 29 September, 2021
43	Veterinary College and Research Institute, Tirunelveli	Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University, Chennai	27 to 29 September, 2021
44	Faculty of Veterinary & Animal Sciences, Kolkata	West Bengal University of Animal & Fishery Sciences, Kolkata	29 September to 01 October 2021
45	College of Veterinary and Animal Sciences, Mannuthy	Kerala Veterinary and Animal Science University, Pookote	08 - 10 November, 2021
46	College of Veterinary and Animal Sciences, Pookote	Kerala Veterinary and Animal Science University, Pookote	08 - 10 November, 2021
47	Arawali Veterinary College, Sikar	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner	02 - 04 December, 2021
48	Apollo College of Veterinary Medicine, Jaipur	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner	02 - 04 December, 2021
49	Mahatma Jyotiba Fule College of Veterinary & Animal Science, Chomu, Jaipur	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner	02 - 04 December, 2021
50	M.B. Veterinary College, Dungarpur	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner	02 - 04 December, 2021
51	Post Graduate Institute of Veterinary Education and Research, Jaipur	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner	02 - 04 December, 2021
52	College of Veterinary and Animal Science, Navania, Vallabh Nagar, Udaipur	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner	02 - 04 December, 2021
53	College of Veterinary and Animal Science, Bikaner	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner	02 - 04 December, 2021



54	College of Veterinary Sciences, Ludhiana	Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana	02 - 04 December, 2021
55	Khalsa College of Veterinary and Animal Sciences, Amritsar	Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana	02 - 04 December, 2021
56	College of Veterinary Sciences, Hisar	Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar	02 - 04 December, 2021
57	International Institute of Veterinary Education and Research, Rohtak	Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar	02 - 04 December, 2021
58	M.R. College of Veterinary Science and Research Centre, Hassanpur, Jhajjar (Haryana)	Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar	22 - 24 January, 2022
59	Saurabh College of Veterinary Science, Hindaun, Rajasthan	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner	22 - 24 January, 2022
60	Shekawati Veterinary College, Sikar	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner	15- 17 March, 2022

6.3 Scrutiny of Application for recognition of Veterinary College

(A) The Central Government as per provisions of Section 15 read with Section 64(1) has framed VCI (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary qualification) Rules 2017. The application for recognition of a Veterinary College or Veterinary qualification is submitted by the Applicant in Form-I as prescribed in the aforesaid Rules to the Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India. On receipt of an application in the specified Form along with the prescribed fee, the Government refers such application to the Veterinary Council of India for evaluation and recommendation as per Rule 7 of the aforesaid Rules for the purpose of granting Letter of Permission (LOP) for imparting First & Second B.V.Sc. & A.H course programme.

After scrutiny of applications and conduct of inspection of veterinary colleges, the Council has recommended for grant of Letter of Permission to the Central Government for the first two academic year for annual admission upto 80 students in the B.V.Sc. & A.H course from the academic session 2021-22 in respect of following veterinary college:



Sr.No.	Name and Address of Veterinary College	Private/ Government Sector	Name of Affiliating University
1.	Sanskaram College of Veterinary & Animal Science, Jhajjar, Haryana	Private	Lala Lajpat Rai University of Veterinary & Animal Sciences, Hisar
2.	RPS College of Veterinary Sciences, Satnali Road, Balana, Dist. Mahendergah, Haryana	Private	Lala Lajpat Rai University of Veterinary & Animal Sciences, Hisar
3.	M.R. College of Veterinary Science and Research Centre, Hassanpur, Jhajjar	Private	Lala Lajpat Rai University of Veterinary & Animal Sciences, Hisar
4.	R.R. College of Veterinary and Animal Science, Deoli, Tonk Jaipur	Private	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner
5.	Mahatma Gandhi Veterinary College, Bharatpur, Rajasthan	Private	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner
6.	Sri Ganganagar Veterinary College, Sri Ganganagar, Rajasthan	Private	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner
7.	Shourabh College of Veterinary Science, Hindaun City, Karauli, Rajasthan	Private	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner

6.4 Conduct of Counseling for filling up of 15% All India quota seats for admission to B.V.Sc. & A.H. course.

Veterinary Council of India during the year 2021 decided to use NEET (UG)-2021 Merit list entrance examination conducted by National Testing Agency for filling up of 15% seat under All India quota for admission to B.V.Sc. & A.H. course in recognized Veterinary Colleges in India.

For filling up of aforesaid seats, the Council issued an advertisement and also uploaded information on website of VCI. In response, 4597 candidates registered through online for Counseling. 761 seats were allocated according to Merit, choice and availability of seats to eligible candidates for Admission to B.V.Sc. & A.H. course to various recognized Veterinary Colleges.

6.5 Regulation of Professional Conducts

Veterinary Council of India as per provisions of Section 31 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 framed Standard of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics for Veterinary Practitioners Regulations, 1992 which specify which types of violations thereof constitute professional misconduct. An inquiry is carried out by State Veterinary Councils and then examines such cases through its Disciplinary Committee. The complaints received by the Council against registered veterinary practitioners were forwarded to concerned State Veterinary Councils for taking appropriate action in the matter.



6.6 Framing of Draft Veterinary Council of India – Minimum Standard of Veterinary Practice Regulations

The Council decided to frame the VCI – Minimum Standard of Veterinary Practice Regulations and constituted an Expert Committee to firm up the draft Regulations. Subsequently, the Expert Committee decided to convene Zonal meetings for discussion on the draft Veterinary Practice Regulations. Four Zonal level meetings were held at Guwahati, Assam from 28 – 29 October, 2021; Anand, Gujarat from 08 – 09 January, 2022; Tirupati from 11 – 12 February, 2022; and Ludhiana from 25 – 26 March, 2022. The zonal meeting was attended by the various stake holders of the respective States like the State Animal Husbandry Departments, State Veterinary Associations, State Milk Federations and progressive Private Practitioners from the States, etc. Inputs have been provided by the Experts for the purpose of framing of draft Minimum Standard of Veterinary Practice Regulations.

6.7 Framing of Draft Guidelines for Uniform implementation of Standards for admission upto 40 admission in B.V.Sc. & A.H. course programme

The Education Committee noted that the physical facilities, infrastructure and manpower detailed under the MSVE Regulations, 2016, framed under the provisions of Section 22 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, are for an annual admissions of 80 students. It also observed that the Central Government in exercise of the powers conferred by section 64 read with section 15 and section 21 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) has framed VCI (Amendment) Rules, 2019. Wherein, Minimum requirements have been specified for submission of application for any increase of seats from 81 to 120 and 121 to 160 in a recognized Veterinary College or a Veterinary Institution offering a recognized Veterinary Qualification. The Council from the inspection of veterinary colleges further observed that the standards for annual admissions less than 80 are arbitrarily assessed by the inspectors in the absence of any such guideline or Regulations. Till such time separate Regulations are framed for the purpose, the Council decided to frame Guidelines under the provisions of Regulation 2(f) of MSVE Regulations, 2016 for uniform implementation of standards for admissions up to 40 students annually. The Guidelines has been framed and forwarded to Department of Animal Husbandry & Dairying, Government of India for its concurrence before its circulation.

6.8 Framing of Guidelines for appointment of teachers at Veterinary Colleges

The Education Committee of the Council observed that though some of the criteria for appointment of teachers are already provided under regulation 14(1) and 14(2) of the MSVE Regulations 2016, the Committee felt that in view of the increasing number of veterinary colleges under the private sector there is a need for imposing certain new provisions for appointment of teachers. As such, the Council decided to frame “Guidelines for minimum eligibility criteria and



qualifications for appointment of teachers of veterinary colleges for the maintenance of standards" under the provisions of Regulation 2(f) of MSVE Regulations, 2016. Accordingly, the guidelines framed by the Education Committee was approved by the Council and circulated to all Universities having veterinary colleges and the Principal Secretary (AH) as an advisory.

6.9 Proposal for Draft Amendments in VCI – Registration Regulations, 1992 and VCI – Registration (Amendment) Regulations, 2002.

The Council in its meeting held on 17.09.2021 considered the matter regarding amendment in VCI – Registration Regulations, 1992 and VCI – Registration (Amendment) Regulations, 2002 due to following reasons:-

As the election for VCI- Members had been held on online by using Mobile Number of practitioners but format of IVPR as prescribed under said Regulations does not have provisions for inclusion of Mobile Number. Hence, format of IVPR has been proposed for amendment. Further, tenure of provisional registration was 6 months for undergoing B.V.Sc. & A.H. course as per VCI – MSVE regulations, 1993 and 2008. However, as per VCI-MSVE Regulations, 2016 duration of internship has been increased from 6 month to one year. Hence, provisional registration is required for a period of one year instead of six months. Further, provisional registration is granted by the State Veterinary Council where is college situated. Hence, format requires amendment accordingly.

Accordingly, the proposal for draft amendment of VCI- Registration Regulations submitted to Central Government for its approval as per provisions of 66 of the Indian Veterinary Council Act, 1984.

6.10 Action taken to ensure Right to Information Act, 2005

As required under the Right to Information Act, 2005, the Council's official website has been updated by uploading the detailed recent information for the benefit of the public under this Act. The quarterly information in this respect is submitted regularly to the nodal Department in the prescribed format. Further, 133 applications under RTI Act were received during the year under report and desired information have been provided to the applicants under the provisions of the RTI Act, 2005.

7. Implementation of Official Language:

Veterinary Council of India, New Delhi is under Region "A" as per Official Language Rules, 1976. Office of the Veterinary Council of India has been notified under Rule 10(4) of Official Language Rules, 1976 vide Gazette Notification No.41 (S.O.980) dated 02.11.2020 and Orders has been issued for doing work in Hindi under Rule 8(4) of Official Language Rules, 1976.



The Council made all efforts to achieve the target fixed by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for implementation of the Official Language Policy of the Union for the year 2021-22. For this purpose, Council constituted Official Language Implementation Committee and made an application for getting Membership of Town Official Language Implementation Committee with Ministry of Home.

The Council is now complying with Section 3(3) of the Official Language Act, 1963. Quarterly Meeting of Office Language Committee were held on 22.06.2021, 14.09.2021, 20.12.2021 and 29.03.2022. The Council celebrated Hindi Fortnight from 01.09.2021 to 15.09.2021. Further, workshop was also organized on 30.12.2021 and 10.03.2022 in the office of the Council.

8. Interface with the Department

The proposals of the Council submitted to the Department were followed up from time to time.

9. Court Cases

The Council defended the various Court Cases in different High Courts. The following Court cases wherein Veterinary Council of India was Respondent were disposed:-

High Courts:

1	CWP No.3789/2022 filed before the High Court of Rajasthan, Bench at Jaipur Pawan Patidar Vs. Union of India & others
2	CWP No.10651/2021 filed before the High Court of Delhi at New Delhi Sangeeta Dogra Vs. Ministry of Agriculture Department of Animal Husbandry and others
3	CWP No.5550/2021 filed before the High Court of Delhi at New Delhi Apex School of Veterinary Sciences Vs. Union of India & another
4	CWP No.5670/2021 filed before the High Court of Delhi at New Delhi Faculty of Veterinary & Animal Husbandry, Shri Kaushal Das University Vs. Union of India & another
5	SBCWP No.505/2021 filed before the High Court of Rajasthan, Bench at Jaipur Mahatma Gandhi Veterinary College, Bharatpur Vs. Union of India & others
6	CWP No.18245/2020 filed before the Punjab and Haryana High Court at Chandigarh Jawala Parshad Shiksha Samiti Vs. Lala Lajpat Rai University of Veterinary & Animal Sciences, Hisar & others



10. BUDGET OF THE COUNCIL

The grants-in-aid to the Veterinary Council of India is provided under a component of Centrally Sponsored Plan Scheme namely "Professional Efficiency Development" by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India. During the financial year 2021-22, the Department released Rs.339.22 lakh (Rs.165.00 lakh Salary Head and Rs.174.22/- General Head) as grants-in-aid to the Council for meeting the expenses of the Council. The grants-in-aid for meeting the expenditure of the Council released by the Government of India during the last three years are as under:-

S.No	Year	Grants-in-aid Heads		Total Amount (Rs. In lakhs)
		Salary Head	General Head	
1.	2018-19	124.00	50.00	174.00
2.	2019-20	150.00	296.10	446.10
3.	2020-21	170.00	1.52	171.52

In addition to the above, the Council generated gross revenue amounting to Rs.105.63 lakhs from the following activities:-

- Counseling fee.
- Registration Fee as per sections 25 and 61 of Indian Veterinary Council Act, 1984;
- Sale of publications;
- Miscellaneous receipts; and fees under RTI Act
- Interest earned on fixed deposits.
- Inspection/application fee from private Veterinary Colleges.

11. AUDIT OF THE ACCOUNTS OF THE COUNCIL

As per the provisions of section 62(2) of the Indian Veterinary Council Act, 1984, "the accounts of the Council shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in his behalf and any expenditure incurred by him or any person so appointed in connection with such audit shall be payable by the Council to the Comptroller and Auditor General of India."

The Annual Accounts of the Council for the financial year 2021-22 were audited by the office of the Director General of Audit, (Agriculture, Food & Water Resources), 8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi from 26.07.2022 to 03.08.2022. Annual Accounts for the year 2021-22 alongwith Audit Report is enclosed with this report.



12. LIST OF VETERINARY COLLEGES ALONGWITH THE UNIVERSITIES IN RESPECT OF WHICH THE B.V.Sc & A.H. DEGREE IS RECOGNIZED UNDER INDIAN VETERINARY COUNCIL ACT,1984 (as on 31.03.2022).

Sl. No	State	Sr.	Name of University	Name of College
1.	ANDHRA PRADESH	1.	Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati	1. NTR College of Veterinary Science, Gannavaram
				2. College of Veterinary Science, Proddatur
				3. College of Veterinary Science, Tirupati
2.	ASSAM	2.	Assam Agricultural University, Jorhat	4. College of Veterinary Science, Guwahati
3.	BIHAR	3.	Bihar Animal Science University, Patna, Bihar	5. Bihar Veterinary College, Patna
4.	CHHATTISGARH	4.	Dau Shri Vasudev Chandrakar Kamdhenu Vishwavidyalaya, Anjora, Durg	6. College of Veterinary Science & Animal Husbandry, Durg
5.	GUJARAT	5.	Kamdhenu University, Gandhinagar, Gujarat	7. College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Anand
				8. College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Junagadh
				9. College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Navsari
				10. College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Sardarkrushinagar
6.	HARYANA	6.	Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar	11. College of Veterinary Science, Hisar
				12. International Institute of Veterinary Education and Research, Rohtak (The college is under the Pvt. Sector)



Sl. No	State	Sr.	Name of University	Name of College
7.	HIMACHAL PRADESH	7.	CSK Himachal Pradesh Krishi Vishwavidyalaya, Palampur	13. Dr. G.C. Negi College of Veterinary and Animal Sciences, Palampur
8.	JAMMU & KASHMIR	8.	Sher-e Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology, Jammu	14. Faculty of Veterinary Sciences & Animal Husbandry, Jammu
		9.	Sher-e Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology, Srinagar	15. Faculty of Veterinary Sciences & Animal Husbandry, Srinagar, Kashmir
9.	JHARKHAND	10.	Birsa Agricultural University, Ranchi	16. Ranchi College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Ranchi
10.	KARNATAKA	11.	Karnataka Veterinary, Animal & Fisheries Sciences University, Bidar	17. Veterinary College Hebbal, Bangalore
				18. Veterinary College Nandinagar, Bidar
				19. Veterinary College, Hassan
				20. Veterinary College, Shimoga
11.	KERALA	12.	Kerala Veterinary and Animal Science University, Pookote	21. College of Veterinary & Animal Sciences, Thrissur
				22. College of Veterinary and Animal Sciences, Pookote
12.	MADHYA PRADESH	13.	Nanaji Deshmukh Veterinary Science University, Jabalpur	23. College of Veterinary Science & Animal Husbandry, Jabalpur
				24. College of Veterinary Science & Animal Husbandry, Mhow
				25. College of Veterinary Science & Animal Husbandry, Rewa
13.	MAHARASHTRA	14.	Maharashtra Animal & Fishery Sciences University,	26. Mumbai Veterinary College, Mumbai



Sl. No	State	Sr.	Name of University	Name of College
			Nagpur	27. Nagpur Veterinary College, Nagpur
				28. College of Veterinary & Animal Sciences, Parbhani
				29. K.N.P. College of Veterinary Sciences, Satara
				30. College of Veterinary & Animal Sciences, Udgir
14.	MIZORAM	15.	Central Agricultural University, Imphal	31. College of Veterinary Science & Animal Husbandry, Aizawl, Mizoram
15.	ODISHA	16.	Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar	32. College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Bhubaneswar
16.	PUDUCHERRY	17.	Pondicherry University, Puducherry	33. Rajiv Gandhi College of Veterinary & Animal Sciences, Puducherry
17.	PUNJAB	18.	Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University	34. Khalsa College of Veterinary and Animal Sciences, Amritsar (The college is under the Pvt. Sector)
				35. College of Veterinary Science, Ludhiana
18.	RAJASTHAN	19.	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner	36. College of Veterinary and Animal Science, Bikaner
				37. Mahatma Jyotiba Fule College of Veterinary & Animal Science, Chomu, Jaipur (The college is under the Pvt. Sector)
				38. *Apollo College of



Sl. No	State	Sr.	Name of University	Name of College
				Veterinary Medicine, Jaipur (The college is under the Pvt. Sector)
				39. Post Graduate Institute of Veterinary Education and Research, Jaipur
				40. College of Veterinary and Animal Science, Navania, Udaipur
				41. Arawali Veterinary College, Sikar (The college is under the Pvt. Sector)
19.	TAMIL NADU	20.	Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University, Chennai	42. Madras Veterinary College, Chennai
				43. College of Veterinary Science and Research Institute, Namakkal
				44. Veterinary College and Research Institute, Orthanadu
				45. Veterinary College and Research Institute, Tirunelveli
20.	TELANGANA	21.	P.V. Narsimha Rao Telangana Veterinary University, Hyderabad	46. College of Veterinary Science, Hyderabad
				47. College of Veterinary Science, Korutla
21.	TRIPURA	22.	Tripura University, Agartala	48. College of Veterinary Science and Animal Husbandry at R.K. Nagar, Agartala, Tripura
22.	UTTAR PRADESH	23.	Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya	49. College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Ayodhya
		24.	Uttar Pradesh Pandit Deen	50. College of Veterinary



Sl. No	State	Sr.	Name of University	Name of College
			Dayal Upadhyay Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan, Mathura	Science and Animal Husbandry, Mathura
		25.	Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Bareilly	51. ICAR-Indian Veterinary Research Institute
		26.	Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut	52. College of Veterinary and Animal Sciences, Meerut
23.	UTTARAKHAND	27	Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar	53. College of Veterinary & Animal Sciences, Pantnagar
24.	WEST BENGAL	28.	West Bengal University of Animal & Fishery Sciences, Kolkata	54. Faculty of Veterinary & Animal Sciences, Kolkata

*The B.V.Sc. & A.H qualification in respect of Apollo College of Veterinary Medicine, Jaipur only when granted on or after the 1st March, 2023.

13. TASKAHEAD

(i) INSPECTION

The Council proposes to inspect the available general facilities and adequacy of standards in the professional B.V.Sc. & A.H. Annual/Board Examinations conducted by various Universities having veterinary faculties periodically as per the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 and the Regulations framed thereunder. The Council also proposes to follow-up the decisions in respect of the Inspections carried out during the previous years with the University/State Government authorities towards fulfillment of the minimum requirements.

(ii) PREPARATION OF SUPPLEMENT TO INDIAN VETERINARY PRACTITIONERS' REGISTER - 2022.

As per the provisions of the Section 23 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the Council proposes to prepare Supplement to Indian Veterinary Practitioners' Register - 2022 containing the names of the persons possessing recognized veterinary qualification and who are enrolled on State/UT Veterinary Council Registers upto 31st March, 2022. The State/UT Veterinary Councils are being pursued to submit the State Veterinary Practitioners Register in time.



(iii) DIRECT REGISTRATION OF VETERINARY PRACTITIONERS

Section 24 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 provides registration with Veterinary Council of India and Council proposes to issue registration certificates to desirous veterinary practitioners on depositing the prescribed fee as per provisions of section 25 of the Act.

(iv) TRANSFER OF REGISTRATION

Section 52 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 provides for transfer of registration from one State to another State on receipt of application from registered veterinary practitioners and Council proposes to issue such direction from one State to another State for transfer of registration.

(v) CONDUCT OF COUNSELING FOR FILLING UP 15% OF SEATS IN RECOGNISED VETERINARY COLLEGES FOR THE YEAR 2022-23.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 read with clause (b) of sub-section (1) of section 21 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 and as per regulation 7(8) of Veterinary Council of India – Minimum Standards of Veterinary Education – Degree Course (BVSc & AH) Regulations, 2016, the Council proposes to fill up 15% of seats of B.V.Sc. & A.H. courses in recognized Veterinary Colleges by utilizing the merit list of NEET (UG) – 2022 (Entrance Examination conducted by National Testing Agency) for the academic session 2022-23.

14. SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF VETERINARY COUNCIL OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2022.

1. We have audited the attached Balance Sheet of Veterinary Council of India (VCI), New Delhi as at 31 March 2022, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 62(2) of the Indian Veterinary Council Act, 1984. These financial statements are the responsibility of the Council's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.



3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the Uniform Format of Accounts as prescribed by the Ministry of Finance.
 - (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained, under section 62(1) of the Indian Veterinary Council Act, 1984, in so far as it appears from our examination of such books.
 - (iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities – Rs.46.96 crore

Current Liabilities and Provisions (Schedule 7): Rs.14.22 Crore

The above does not include an amount of Rs.12.74 lakh for the bills pertaining to the year 2020-21 on account and for which payment was made in 2021-22. This resulted in an understatement of Current liabilities & Provisions and expenditure as well as overstatement of capital fund by Rs.12.74 lakh.

B. Grants-in-aid

During 2021-22, VCI received Grants of Rs. 3.39 crore with an opening balance of Rs.0.63 crore as on 01 April 2021. Out of the total Grants of Rs.4.02 crore, the Council incurred an expenditure of Rs. 3.64 crore leaving an unutilized Grants of Rs.0.38 crore as on 31 March 2022.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.



- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
- a. In so far as they relate to the Balance Sheet of the state of affairs of the Veterinary Council of India as at 31 March 2022; and
- b. In so far as they relate to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Dated: .09.2022

Sd/-
Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)



Annexure

1. **Adequacy of internal audit system**
During the course of Audit, it was observed that the VCI has no internal audit wing and no internal audit was conducted during the period. Moreover, the Ministry has also not conducted the internal audit of VCI till date.
2. **Adequacy of Internal Control System.**
The internal control system is inadequate as there was no internal audit wing.
3. **System of physical verification of assets**
The physical verification of fixed assets like Furniture and Fixture, Computer and Accessories of VCI, New Delhi has been conducted up to March 2022 and no material deficiency was reported.
4. **System of physical verification of inventory**
VCI has conducted physical verification of inventory for the year 2021-22.
5. **Regularity in payment of dues.**
No Payment over six month in respect of statutory dues were outstanding as on 31.03.2022.

Financial Statement of
Veterinary Council of India
(Non-Profit Organisation)
for the year 2021-22



(A Statutory body established under Indian Veterinary Council Act, 1984)

*A-wing, Second Floor, August Kranti Bhawan,
Bhikaji Cama Place, New Delhi -110 066*





भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22



Balance Sheet

2021-22



FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)				
NAME OF ENTITY- VETERINARY COUNCIL OF INDIA				
BALANCE SHEET AS ON 31TH MARCH 2022				
	SCHEDULE	CURRENT YEAR	(Amount in ₹.)	
	ANNEXURE	2021-22	2020-21	
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES				
CORPUS FUND / CAPITAL FUND	1	102043421		108939130
RESERVES AND SURPLUS	2			
EARMARKED/ENDOWMENT FUND	3	20001100		18851650
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4			
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5			
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6			
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	142214267		133545720
VCI-PENSION FUND	II	162506944		149182299
VCI-GPF	III	17085185		15502214
VCI-LEAVE ENCASHMENT AND GRATUITY FUND	IV	25465552		23881952
VCI-NPS	V	247256		1333186
TOTAL		469563725		451236151
ASSETS				
FIXED ASSETS	8	8834324		9858473
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	20001100		18851650
INVESTMENT-OTHERS	10			
CURRENTS ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	235423364		232626377
MISCELLANEOUS EXPENDITURE				
(to the extent not written off or adjusted)				
VCI-PENSION FUND	II	162506944		149182299
VCI-GPF	III	17085185		15502214
VCI-LEAVE ENCASHMENT AND GRATUITY FUND	IV	25465552		23881952
VCI-NPS	V	247256		1333186
TOTAL		469563725		451236151
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	28			
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTING				

SECRETARY (ADDL.CHARGE)



Income Expenditure Account 2021-22



FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)			
NAME OF ENTITY- VETERINARY COUNCIL OF INDIA			
Income and Expenditure Account for the period/year ended 31.3.2022			
Income	Schedule	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
Income from Sales/Services including Counseling fee	12	238270	4556327
Grants/Subsidies	13	36367064	25503495
Fees/Subscriptions	14	3952344	90691
Income from Investments (Income on Invest, from earmarked/lendow Funds transferred to Funds)	15		
Income from Royalty, Publication etc.	16		
Interest Earned	17	6372450	9045385
Other Income including deferred income	18	0	600000
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and work in progress	19		
Total (A)		46930128	39795898
Expenditure			
Establishment Expenses	20	33525998	122267015
Other Administrative Expenses etc.	21	19834634	10797914
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22		
Interest	23		
Depreciation (Net Total at the year end-corresponding to Schedule 8)		1024149	1153670
Note: Prior period item payable related with contribution to pension/ Leave Encashment/ Gratuity Fund	20		
Total (B)		54384781	134218599
Balance being excess of Expenditure over Income (B-A)		-7454653	-94422701
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to/from General Reserve		558944	0
Add: Adjustment of prior period items include liabilities pl. see. Notes on accounts			
Balance Being Surplus/(Deficit) Carried to Corpus/Capital Fund		-6895709	-94422701
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and notes on accounts			

SECRETARY (ADDL.CHARGE)



Schedules forming Part of Balance Sheet

2021-22



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming Part of Balance Sheet as at 31.03.2022			
Schedule-I, Corpus/Capital Fund	(Amount in Rs.)		Previous Year
	Current Year	2021-22	2020-21
Balance at the beginning of the Year (Net Balacne)		108939130	203361831
Add			
(i) balance of net inomce/Expendirure transferred from Income and Expenditure A/c	0		0
(ii) Assets created out of Grants-in-Aid	0	0	0
TOTAL		108939130	203361831
Less			
(i) Excess of Expendituree over Income		6895709	9422701
(ii) Obsolete/unservicable/loss of assets due to fire written off	0		0
Amount transfer to the balance sheet		102043421	108939130
Schedule 2			
Reserved and Surplus		0	0



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)		
Name of Entity - Veterinary Council of India		
Schedules forming part of Balance sheet as at 31.3.2022		
	(Amount in ₹.)	
	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		
a) Opening Balance of fund	18851650	17802931
b) Additions to the Funds:		
i. Grant-in-aid received from Government of India	0	0
ii. Interest earned on fixed deposit/S/B a/c(Rs.2198722/-+Rs.0/-)	2198722	0
iii. Accrued interest on fixed deposit (Closing)	19089	1068361
Total	2217811	1068361
iv. Less Accrued Interest (Op. Balance)	1068361	19642
v bank charges	0	0
Total (b)	1149450	1048719
Total (a+b)	20001100	18851650
c) Less Utilization/ Expenditure towards objective of Funds		
I. Capital Expenditure	0	0
ii. Revenue Expenditure	0	0
Total (c)	0	0
Net Balance transferred to Balance Sheet (a+b-c)	20001100	18851650
Schedule -4		
SECURED LOANS AND BORROWINGS	0	0
Schedule -5		
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	0	0
Schedule -6		
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	0	0



भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance sheet as at 31.3.2022			
	(Amount in ₹.)		
	Current Year	Previous Year	2020-21
Schedule - 7			
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
A. CURRENT LIABILITIES			
1. Acceptances			
2. Sundry Creditors			
A) Maintenance charges payable		112101	0
B) Counselling fee (op.7540898/-+ during the yr.0/- - refund 5692938/-)		1847960	7540898
3. Interest accrued but not due on:			
a) Secured Loans/Borrowings			
b) Unsecured Loans/Borrowings			
4. Statutory Liabilities			
a) Interest payable to GPF a/c		526783	0
b) payable to Contribution to Provision for Pension/leave Encashment, Gratuity Fund		127266090	110882625
5. Other Current Liabilities			
Earnest Money (Plan- 9000/-+ Exam- 65000/-)		74000	74000
Security Deposited for Plan-0/- +Exam-10000/-		10000	60000
Honorarium to Expert -CVE/outstanding salary & wages-		150150	150150
Outstanding Salary & wages - (Exam Fund)			
Outstanding Salary & Wages - (Plan)	22792		438907
Other Liabilities			0
Payable for Legal & Professional	5289300		5330060
Telephone Charges payable	4636		
Payable Electricity charges	59230		12380
TA/DA Expenses payable	473538		
Payable for Medical exp.			38402
Miscellaneous Liabilities of state cheques of main a/c as per audit observation 2020-21	168966		
Miscellaneous Liabilities of state cheques of EXAM a/c as per audit observation 2020-21	253455		
Payable to Kendriya Bhandar for Furniture & Fixture(454189/-)	454189		454189
Postage exp. payable	4515		
Payable for other exam exp. To professional group	67980		67980
		6798601	6341918
Payable for Meeting Exp. zonal Ludhiana		87868	0
Payable for Advertisement & Publicity (Documentary film)			800000
Counselling Exp. for SSL Certificate		8496	0
unutilized balance of Grants in aid		3891928	6336839
TOTAL (A)		140773977	132186430
B. PROVISIONS			
For Taxation			
Gratuity as per actuarial already included in above at A		1359290	1359290
Superannuation/Pension as per actuarial already included in above at A			
Accumulated Leave Encashment as per actuarial already included in above at A			
Provision for Audit Fee		81000	0
TOTAL (B)		1440290	1359290
TOTAL (A + B)		142214267	133545720



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)													
Name of Entity - Veterinary Council of India													
Schedules forming part of Balance sheet as at 31.3.2022													
SCHEDULE - 8 FIXED ASSETS	DESCRIPTION	GROSS BLOCK					DEPRECIATION		Amount (in ₹.)				
		COST AS AT 1.4.2021	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJU STME NT (+)	DEDUCTION DURING THE YEAR	ADJU STME NT (-)	COST AS AT 31.03.2022	DEPRECIATION ON AS AT 1.4.2021	ADDITIONS DURING THE YEAR	DEDUCTIONS DURING THE YEAR	TOTAL DEPRECIATION AS ON 31.3.2022	AS ON 31.3.2022	AS ON 31-03-2021
A. Fixed Assets (PLAN GRANT)													
1. Buildings													
a. On Freehold Land													
b. On Leasehold Land	41723775	0	0	0	0	0	41723775	35763366	596041	0	36359407	5364368	5960409
c. Ownership Flats/Premises													
2. Office Equipment	1625596	0	0	0	0	0	1625596	1595207	4558	0	1599765	25831	30389
3.Vehicles (Motor Car)	425259	0	0	0	0	0	425259	409093	2425	0	411518	13741	16166
4.Furniture and Fixtures	3524018	0	0	0	0	0	3524018	3167333	35669	0	3203002	321016	356885
5.Audio Visual Aids	15012	0	0	0	0	0	15012	14385	94	0	14479	533	627
B. Fixed Assets (EXAM FUNDS)													
1 Buildings													
a. On Leasehold Land	13208843	0	0	0	0	0	13208843	11099968	210888	0	11310856	1897987	2108875
2. Vehicles	539346	0	0	0	0	0	539346	317984	33204	0	351188	188158	221362
3. Office Equipment	726727	0	0	0	0	0	726727	603587	18471	0	622058	104669	123140
4.Furniture and Fixtures	2321764	0	0	0	0	0	2321764	1403881	91788	0	1495669	826095	917883
5. Computers	1376521	0	0	0	0	0	1376521	1326253	20107	0	1346360	30161	50268
6 Electrical equipment (UPS)	273090	0	0	0	0	0	273090	273075	6	0	273081	9	15
7 Audio Visual	293932	0	0	0	0	0	293932	221278	10898	0	232176	61756	72654
CURRENT YEAR TOTAL	66053883	0	0	0	0	0	66053883	56195410	1024149	0	57219559	8834324	9858473
PREVIOUS YEAR TOTAL	66522135	0	0	0	0	0	66522135	55509992	1153670	0	56663662	9858473	11012144
CAPITAL WORK IN PROGRESS													
TOTAL													
Note: The Council has not purchased any assets on hire purchase basis.													
Note: procured :													



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance sheet as at 31.3.2022			
	Current Year		Previous Year
			(Amount in ₹.)
SCHEDULE - 9			
INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS-			
BUILDING FUND			
		2021-22	2020-21
In Government Securities			
Other Approved Securities			
Shares			
Debentures and Bonds			
Subsidiaries and Joint Ventures			
Others (to be specified)			
Fixed Deposits with schedule bank	19891144		17692422
Accrued Interest	19089		1068361
Balance with Vijaya Bank now BOB)	90867		90867
Total	20001100		18851650
SCHEDULE - 10			
INVESTMENT - OTHERS			
	NIL		NIL



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.3.2022			
SCHEDULE 11	Current Year	Previous Year	(Amount in ₹.)
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	2021-22	2020-21	
A. Current Assets:-			
1. Inventories			
a. Stores and Spares			
b. Loose Tools			
c. Stock-in-Trade			
2. Sundry Debtors			
a. Debts outstanding for a period exceeding six months			
b. Others			
3. Postage Stamp in hand			
Exam Fund	47594	47594	47594
Plan Grant	0	0	47594
4. Cash in hand	15		15
5. Bank Balances (Schedule Bank)			
(Bank of Baroda/SBI)	40353957		41810556
Fixed Deposit/TDS (Exam Fund)	186485400		182888310
6. Post Office Savings Accounts			
TOTAL (A)	226886966		224746475



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.3.2022			
SCHEDULE 11		Current Year	Previous Year
		2021-22	2020-21
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.		226886966	224746475
<i>Contd. from prepage</i>			
B. Loans, Advances and other Assets			
1. Loans			
a. Staff			
Festival Advance	900		900
Advance to Coordinator for AIPVT-2016	10000		10000
Contingent Advance (Rs.9686/- Plan+ Exam-Rs.462848/-)	472534		481534
		483434	492434
b. Advances to other Entities			
Paid to CPWD for renovation of office		2307370	2307370
Exam Centre for AIPVT-2016		396120	396120
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received			
a. TDS	257		257
b. Prepayments LIC	0		0
c. Security deposit with BSES Rajdhani Power Ltd	81000		81000
d. Security deposited with Indian Oil for Gas connection	1500		1500
e. Security deposited with HUDCO (Exam a/c for rent advance)	1561693	1644450	1644450
3. Accrued Interest			
Accrued Interest on Fixed deposit (Exam.)		3650201	2984705
4. Prepaid Expenses			
Postage			
Payment to HUDCO Ground Rent Room No. 293		12832	12832
Payment to HUDCO Ground rent R.No. 288-292		41991	41991
			54823
TOTAL (B)		8536398	7879902
TOTAL (A + B)		235423364	232626377



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.3.2022			
		Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
SCHEDULE - 12			
INCOME FROM SALES/SERVICES			
1. Income from Sales			
a. Income from Sale of Publication		233500	149000
b. Income from the Waste paper		0	0
c. RTI fee		4770	786
2. Income from Services			
a. Labour and Processing Charges			
b. Professional/Consultancy Services			
c. Others (Counselling fee 3131405/- + Mopup- 0/-minus bank charges - 37/- + mopup to be refunded 0/-) *			4406541
TOTAL (1+2) transferred to Receipt and Payment Account		238270	4556327
TOTAL Transferred to Income & Expenditure Account		238270	4556327
SCHEDULE - 13			
GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
(A) Opening Balance		6336839	14688334
(B) Received during the year		33922153	17152000
(C) Less (i) Assets purchased			
(ii) Unspent at the year end.		3891928	6336839
Net Balance transferred to Income & Expenditure Account		36367064	25503495
* During the current year, counselling fee has been shown at Schedule-14.			
Salary-33,16,462/- General-5,75,466/-			



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.3.2022			
		(Amount in ₹.)	
		Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
SCHEDULE - 14			
FEES / SUBSCRIPTIONS			
1. Counselling fee Rs.3131405/- + Mopup-Rs.0/- minus bank charges 37/-+ mopup to be refunded 0/-	3131368	0	90691
2. Registration Fee	70976		
3. Application fee under VCI Rules from Pvt. Vety.College	750000		
Transferred to Receipt & Payment A/c	3952344	90691	
Balance transferred to Income & Expenditure Account	3952344	90691	
SCHEDULE - 15			
INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Investment from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)			
	0	0	
SCHEDULE - 16			
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.			
	0	0	



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.3.2022			
			(Amount in ₹.)
SCHEDULE - 17	Current Year	Previous Year	
INTEREST EARNED	2021-22	2020-21	
1. On Term Deposits			
a. With Scheduled Banks (VCI Exam Fund)			
Interest Received during the year	5706954	11396905	
Add :Accrued Interest (Closing Balance)	3650201	2984705	
Less Accrued Interest (Opening Balance)	2984705	5336225	9045385
TOTAL	6372450	9045385	

43



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)									
Name of Entity - Veterinary Council of India									
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.3.2022									
SCHEDULE - 20									
ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21		Amount (₹.)				
	Plan Grant	Exam Fund	Total	Plan Grant	Exam Fund	Total			
Salaries & Wages including honorarium	15527558		15527558	13735539		13735539			
Contribution to Pension Fund			0			0			
on death payment of Leave encashment	772200		772200	182876		182876			
Interest to G.P.F.	0		0			0			
Employer contribution to New Pension Scheme	115416		115416	81764		81764			
Medical Reimbursement	152104		152104	173072		173072			
O.T.A.	0		0			0			
L.T.C	25680		25680	0		0			
TOTAL (Transferred to R&P A/c)	16592958	0	16592958	14173251	0	14173251			
Add Outstanding Liabilities									
Salary & Wages including subsistence allowances	22792		22792			0			
Medical Exp.			0			0			
balance/ Less Opening balance of Outstanding Liabilities			0			0			
Salary & Wages for March 2021			0	27461		27461			
Medical Exp.			0	8250		8250			
			0			0			
Add: Interest payable to G P F	526783		526783			0			
Less: Op. interest paid GPF A/c	0		0	182876		182876			
Add: Pensionary charges payable for the year to Pension Fund , L.E. & G.F.			0			0			
L..E. and Gratuity fund (Pension-1,36,66,542 /- + L.E.-13,11,643/- + G.F. 14,05,280/-									
	16383465		16383465	108312351		108312351			
as per actuarial valuation best for the yr.			0			0			
Less contribution to pension/L.E.&G.F. as per acturian for last year(s)			0			0			
Transferred to Income & Expenditure A/c	33525998	0	33525998	122267015	0	122267015			

45



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)						
Name of Entity - Veterinary Council of India						
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.3.2022						
SCHEDULE - 21			Current Year		Previous Year	Amount (₹.)
			2021-22		2020-21	
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES						
	Plan grant	Exam fund	Total	Plan grant	Exam fund	Total
Contd. From prepage)	18677031	0	18677031	11495050	0	11495050
Bank Charges	5857	649	6506	5697	649	6346
I.V.P.R.	1036000		1036000			0
Translation & Typing Charges			0			0
Books & Periodicals			0			0
Misc. Expenses	55218		55218	48084		48084
TOTAL(A)	19774106	649	19774755	11548831	649	11549480
Add: Opening Stock of Postage	0	47594	47594	0	47594	47594
Opening stock of prepaid Postage	0	0	0	0	0	0
Electricity charges payable	46850	0	46850	0	0	0
Maintenance charges payable	112101		112101	0	3868545	3868545
Telephone charges payable	4636	0	4636	0	0	0
Provision for Audit Fee FOR 2021-22	81000	0	81000	0	0	0
Payable for legal & professional fee	0	0	0	0	0	0
Payable for TA/DA	473538	0	473538	0	0	0
Postage to speed post centre	4515	0	4515	0	0	0
Payable for Translation and typing	0	0	0	0	0	0
Payable for printing charges	0	0	0	0	0	0
Meeting Exp. payable	87868	0	87868	0	0	0
Payable for Security Guard adjusted from HUDCO advance	0		0	0	1132981	1132981
Counselling expenses payable for SSL certificate as per NIC	8496		8496		0	0
			0			0
Total (B)	819004	47594	866598	0	5049120	5049120
Less: Closing Stock of Postage	0	47594	47594	0	47594	47594
Prepaid Postage closing balance	0	0	0	0	0	0
maintenance charges payable paid	0		0	0	1487714	1487714
Telephone charges paid	0	0	0	0	0	0
Electricity charges payable	0	0	0			
Provision for Audit Fee	0	0	0			
Actuarial fee payable	0	0	0	139710	0	139710
Legal and Professional Payable	39125	0	39125	0	0	0
TA/DA Exp. Payable	0	0	0	0	0	0
Postage	0	0	0			
Printing of question paper set-II payable paid	0	0	0	2992687	0	2992687
Translation & Typing Charges	0	0	0	0	0	0
Security Guard payable paid	0		0	0	1132981	1132981
Payable for Advertisement (documentary film)	720000	0	720000	0	0	0
Total (C)	759125	47594	806719	3132397	2668289	5800686
Transferred to Income & Expenditure A/c (A+B-C)	19833985	649	19834634	8416434	2381480	10797914



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.3.2022			
			Amount (₹.)
SCHEDULE - 22		Current Year	Previous Year
		2021-22	2020-21
		0	0
SCHEDULE - 23			
		0	0



Form of Financial Statements (Non-Profit Organization)
Name of Entity – Veterinary Council of India
Schedules forming part of Balance Sheet as on 31.3.2022

Schedule – 24 Notes on Accounts and Significant Accounting Policies

1. Revenue Recognition

The accounts are prepared under the historical cost convention and on accrual basis. All expenses, assets and liabilities are accounted for on accrual basis based on the matching concept. However, utilization certificates for grants-in-aid are given on the basis of actual payment basis since the expenditure are booked through PFMS system.

2. Fixed Assets and Depreciation

Fixed Assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation of fixed assets for the year has been provided on the written down value of assets at the following rates.

Furniture & Fixtures	10%
Vehicles	15%
Office Equipment	15%
Computers	40%
Electrical equipment (UPS)	40%
Audio Visual	15%

Above rate of depreciation has been adopted from the Income Tax Rule as provided in appendix I to Income Tax Rule, 1962. Fixed assets represents assets created out of grant-in-aid, created out earmarked fund and Veterinary Council of India – Exam Fund. Further, as per Government of India norms office equipments like computer, printers and other like equipments which are used for day to day office works are not considered as fixed assets and such amounts had been taken as Revenue Expenditure from Accounting yr. 2021-22 and onwards as non-recurring revenue expenditures are booked on PFMS system under General Head. Further, the value of assets whose net block is zero in the previous year have been removed from the list of Gross Block also in order to reflect true and correct picture of the Assets in Schedule-8.

3. Accounting treatment in respect of fixed assets acquired out of grant-in-aid

The Council has not received any Capital Grant during the accounting year.

4. Taxation Status

As the Audit has observed that fund generated by VCI is Public Fund of India, hence tax is not applicable during the current accounting year.



5. Investment

Council has not made any investment other than the amount deposited in fixed/term deposit.

6. Corpus/Capital Fund

This represents the accumulated balance of Excess of Income over expenditure mainly from All India Pre-Veterinary Test Conducted upto the year 2016 and thereafter counseling fee collected for filling up 15% seats to B.V.SC.&A.H. Course and net value of fixed assets acquired from grants-in-aid and net value of fixed assets transferred from earmarked fund.

7 Retirement Benefit

Council has set up a pension fund, Gratuity and Leave Encashment fund towards meeting a pensionary liabilities including Leave Encashment and Gratuity for which net liability/corpus/assets have been recognized in the financial statement of the Council as per Actuarial valuation as on 31.3.2022.

8. Contingent liability

There is no Contingent liability in Financial Statement as on the Balance sheet date.

9. Change of Accounting policies and material effect

During the year accounts has been prepared in uniform format of accounts which is applicable to Central Autonomous Bodies, on or after 1.4.2001. However, as per suggestions given by Audit during the Year 2013-14, G.P.F. A/c, Leave Encashment & Gratuity Fund and Pension Fund of Veterinary Council of India have been incorporated in the main Balance Sheet of Veterinary Council of India.

10. While preparing the financial statement the principle of accrual system of accounting and the concept of going concern, matching concept and consistency have been maintained. Further, any advance amount paid to any entity/Govt. organization towards any cost of work have been treated/booked as advance during the current financial year, since they have not completed the work as on date of balance sheet.

11. The detail of Bank Balance in current account, saving account and deposits accounts are enclosed at Annexure – I

12. The current assets includes postage stamp in hand, cash and bank balances, accrued interest and prepaid expenses, advances to the employees and which have a value on realization in the ordinary course of business equal at least to the aggregate amount shown in the balance sheet.

13. Previous year figures have been regrouped wherever necessary.

14. Figures have been rounded off to nearest Rupees.

15. Outstanding legal fees are payable to the advocates engaged in the High Courts for



defending various court cases on behalf of this Council. Other outstanding expenses include Medical bill, telephone bills, maintenance bills, and others as per financial statements.

16. Other information:

(i) There is no unclaimed fund.

(ii) There was no loss of cash on account of Fire, Theft and Embezzlement.

17. Provision for Audit Fee for the year 2021-22 has been taken on the basis of actual fee paid during the year 2020-21.

18. As the CPWD completed work but final bill regarding completion of work is yet to be receive, hence, advance given to CPWD for work amounting to Rs.2307370/-has so far not been taken as expenditure against advance on day of balance sheet.

19. Counseling Fee and Application Fee received during the current financial year have been shown in schedule-14 being scheduled related to FEE/Subscription.

20. Prior period items includes liabilities written off on account of non-admissibility of bills as the bill claims was excess, the details of adjusted items are (medical exp.Rs,38,402/-,legal exp. Sh.H.S. Rajput (Rs.20960-RS.19325=1635/-), HSC for guard- Rs.438907/- and documentary film Rs.80,000/-)



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)		
Name of Entity - Veterinary Council of India		
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.3.2022		
	Amount (₹.)	
SCHEDULE - 25		
ANY OTHER RECEIPT (Receipt & Payment A/c)	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
Other /Contingent Advance adjusted (Main A/c -Rs./-+ Exam-Rs.9000/-	0	0
	9000	0
	0	0
Counselling fee (Mopup round fee to be refunded	0	5630438
Miscellaneous liabilities (stale cheques as per previous audit observations) Main account	168966	0
Miscellaneous liabilities (stale cheques as per previous audit observation)Exam account	253455	0
TOTAL	431421	5630438



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.3.2022			
	Amount (₹.)		
	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21	
SCHEDULE - 26			
OTHER PAYMENTS (Receipt & Payment Account)			
LIC subscription	0	0	0
Contingent Advance (Main A/c)	0	0	0
Contingent Advance (Exam.Fund)	0	0	0
Kendriya Bhandar (printer's payable)	0	0	17242
Security refund to KAGRA Services	50000		0
Refund of Mopup fees (2019-20- Rs.52,500/- +2020-21 Rs.56,40,438)	5692938		0
TOTAL	5742938		17242



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisations)					
Name of Entity Veterinary Council of India					
Receipts and payments for the period/year ended 31.3.2022					
Receipts	(Amount in ₹.)		Payments	(Amount in ₹.)	
	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21		Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
Opening Balance					
a) Cash in hand	15	607	1 Expenses a) सEstablishment Expenses (corresponding to Sch-20)	16592958	14173251
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses (corresponding to Sch-21)	19774755	11549480
			c) Examination's Expenses (corresponding to Sch-22)		
i) In current accounts	41810556	39503239	d) Continuing Veterinary Education (corresponding to Sch-27)		
ii) in F.D. accounts (FD Exam only)	182888310	171508647	II Payments made against funds for various projects		
iii) Savings accounts			Name of the fund or project		
III Grants Received			should be shown along with the particulars of payments made for each project		
a) From Government of India (Sch-13)	33922153	17152000			
b) From State Government					
c) From other sources (details)					
(Grants for capital & revenue exp. to be			III Investments and deposits made		
III Income on Investments from					
a) Earmarked/Endow Funds (Separate Schedule-3)	2198722		a) Out of Earmarked/Endowment funds (Separate Schedule-9)	2198722	
b) Own Funds (Oth. Investment)			b) Out of Own Funds (other -Investment)		
Contd. to next page	260819756	228164493	Contd. to next page	38566435	25722731



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisations)					
Name of Entity Veterinary Council of India					
Receipts and payments for the period/year ended 31.3.2022					
Receipts	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21	Payments	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
Contd. from prepage	260819756	228164493	Contd. from prepage	38566435	25722731
IV Interest Received (Schedule-17)					
a) On Bank deposits	5706954	11396905	IV Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
b) Loans, Advances etc.			a) Purchase of Fixed Assets (Schedule - 8)	0	0
			b) Expenditure on Capital Work-in- progress		
V Other Income (Specify)					
a) Sales/Services (Schedule - 12)	238270	4556327	V Refund of surplus/grants/money/loans		
b) Fees/Subscription (Schedule - 14)	3952344	90691	a) To the Government of India (Sch.13)		
c) Misc Receipt (Schedule- 18)	0	600000	b) To the State Government		
VI Amount Borrowed			c) To other providers of funds		
			VI Finance Charges (Interest)		
VII Any other receipts (give details) (Schedule 25)	431421	5630438	VII Other Payments (Specify) (Schedule - 26)	5742938	17242
			VIII Closing Balances		
			a) Cash in hand	15	15
			b) Bank Balances (as per annexure-I)		
			i) In current accounts	40353957	41810556
			ii) In deposit accounts Exam/tds	186485400	182888310
Total	271148745	250438854	Total	271148745	250438854



Annexures

2021-22



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Annexures forming part of Balance Sheet as at 31.3.2022			
		Current Year 2021-22.	Previous year 2020-21
(Amount ₹.)			
ANNEXURE - I			
DETAIL OF BANK BALANCES AND DEPOSIT AS AT 31.03.2021			
Particulars			
Bank of Baroda			
89830200001197 VCI Main A/C	12322696		13589395
89830200001297 CVE A/C	267800		267800
89830200001073 VCI Escrow A/c	15634767		18196337
State Bank of India			
34835947937 (Op.9757024 minus bank charges 649/-)	9756375		9757024
Total	37981638		41810556
Bank of Baroda			
89830200001550 Exam A/c A/C	2372319		-201821
Total	40353957		-201821
Fixed Deposits			
STDR/TDR/TDS (Exam Fund)			
	78437027		7573701
	17940337		17940337
	49862121		48130959
	17095915		16315134
Sweep	25000		22375000
Sweep	175000		2575000
	22950000		
Gross Total Gross Total	186485400		183090131
less: cheques released and bank transferred amount from Sweep account on presentation of cheque.	0		201821
Net amount of FDs transferred to financial statements/Balance sheet	186485400		182888310



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India - PENSION FUND			
Balance Sheet as at 31st March 2022			
			(Amount in ₹.)
ANNEXURE - II		Current Year 2021-22	Previous year 2020-21
Corpus Fund / Capital Fund	Schedule - I	162506944	149182299
TOTAL		162506944	149182299
Assets			
Fixed Assets			
Current Assets, Loan & Advance	Schedule-II	162506944	149182299
TOTAL		162506944	149182299
Note: Net Corpus/Assets are as per Acturian Valuation details in notes on account			



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance Sheet of V.C.I. Pension Fund as at 31.3.2022			
		Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
			(Amount in ₹.)
ANNEXURE - II (A)			
Schedule - 1 (Pension Fund)			
Opening Balance (Corpus Fund)		149182299	45348763
Add: net interest received		1651074	2884417
(intt.Rs.1202919/- + Accured intt. Closing bal.Rs.1713471/- minus Accrued intt.op.bal-Rs.1265316/-)			
Less: Net Pension Paid (paid- Rs.1959584/- minus op. payable- 0/-+medical& bank charges Rs.33387/-)		1992971	1721572
Add: contribution for the year as per acturial valuation Rs.13666542/-)		13666542	102670691
* Total *		162506944	149182299
Schedule - 2 (Pension Fund)			
Current Assets		162506944	149182299
Cash at Bank (Savings A/c)		3109702	4982929
Fixed Deposit		38776264	37693089
Accrued Interest		1713471	1265316
*** Contribution Receivable from a/c (105240968+13666542) **		118907507	105240965
Total		162506944	149182299
*** Difference of net liability as per acturial value and corpus fund available. This amount to be transferred from VCI a/c for which provision in the accounts has been made in the balance sheet and incase of non-receipt from Govt. the same shall be met out from VCI-Exam Fund .			

59



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India - G.P.F			
Balance Sheet as at 31st March 2022			
			(Amount in ₹.)
		Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
ANNEXURE - III			
Corpus Fund / Capital Fund	Schedule - 1	17085185	15502214
Total		17085185	15502214
Assets			
Fixed Assets			
Current Assets, Loan & Advance	Schedule-2	17085185	15502214
Total		17085185	15502214



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance Sheet of V.C.I. - G.P.F. a/c as at 31.3.2022			
ANNEXURE - III (A)			(Amount in ₹.)
Schedule - 1 - G.P.F. A/c		Current Year	Previous Year
		2021-22	2020-21
G.P.F. (Corpus Fund)			
Opening Balance		15502214	14570513
Add:			
Subscription/Adv. Recovery		2032400	1898280
Interest paid to subscriber		1081640	1007181
Less: Excess of intt.paid over earned during the year from previous yr. surplus		237077	263760
		18379177	17212214
Less: withdrawal		1293992	1710000
		17085185	15502214
Net Corpus Fund			
Schedule - 2 - Current Assets		Current Year	Previous Year
		2021-22	2020-21
Interest Recievable from VCI A/C		526783	0
Bank Balances (₹.37,69,379/-) plus Fixed Deposit (₹.1,19,83,602/-)		15752981	14936054
Accrued Interest (closing)		805421	566160
Total		17085185	15502214



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India - G.P.F			
Income & Expenditure for the year ended 31.03.2022			
ANEXURE - III (B)			
Particulars	Current Year 2021-22	Amount (₹.)	Previous Year 2020-21
Interest earned	78519	798975	
Add: Accrued interest (closing)	805421	566160	
Total	883940	1365135	
Less: opening Accrued interest	566160	621714	
Total	317780		743421
difference of Intt. receivable from VCI Grants in aid account	526783		0
Total	844563		743421
Interest to subscriber	1081640		1007181
Bank Charges	0		0
Total	1081640		1007181
Excess of intt. Disbursed over earned during the year from the previous yr. accumulation and Tfr. to Balance Sheet	-237077		-263760



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)					
Name of Entity - Veterinary Council of India - G.P.F.					
Receipt and Payment for the year ending 31.3.2022					
ANNEXURE - III (C)	(Amount in ₹.)		(Amount in ₹.)		
	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21	Payment	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
Opening Balance					
Bank Balances: -					
Saving A/c	2952616	2505405	By withdrawals	1293992	1710000
Fixed deposit	11983438	11260518	Bank Charges		
G.P.F.Subscription/Adv. Recovery	2032400	1898280			
Interest earned on fixed deposit	164	722920			
Interest earned on Saving A/c	78355	76055			
Interest receivable for previous yr.	0	182876			
			By closing balance (Bank balance)		
			Saving A/c (SBI-Rs.168685/- + BOB	3769379	2952616
			Rs.3600694/-)	11983602	11983438
			Fixed Deposit		
Total	17046973	16646054	Total	17046973	16646054



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India - Leave Encashment & Gratuity			
Balance Sheet as at 31st March 2022			
			(Amount in ₹.)
ANNEXURE - IV		Current Year	Previous Year
		2021-22	2020-21
Corpus Fund / Capital Fund *	Schedule - I	25465552	23881952
TOTAL		25465552	23881952
Assets			
Fixed Assets			
Current Assets, Loan & Advance	Schedule-II	25465552	23881952
TOTAL		25465552	23881952
Note: Net Corpus/Assets are as per Actuarial Valuation details in notes on account			



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance Sheet of V.C.I. Leave Encashment & Gratuity as at 31.3.2022			
		(Amount in ₹.)	
ANNEXURE - IV (A)			
Schedule - 1 (Leave encashment & Gratuity)			
	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21	
Opening Balance (Corpus Fund)	23881952	17258153	
Add : interest earned ₹.1007838 /- + accrued intt. (closing balance ₹.141884/- minus accrued intt. Op. balance ₹.283045/-)	866677	982139	
	24748629	18240292	
Add:Contribution for the year as per actuarial valuation report upto 31.3.21 best for next yr. i. e 2021-22 Gratuity- 1405280/-+ E.L.Rs.1311643/- .	2716923	5641660	
Less:			
Leave Encashment paid on retirement/Death	0	0	
Gratuity paid on Retirement/ Death	2000000	0	
* Total *	25465552	23881952	
Schedule - 2 (Leave Encashment & Gratuity)			
	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21	
Current Assets			
FDR	16483783	17873403	
Cash at Bank (Savings A/c)	481302	83844	
Contribution receivable from VCI a/c as per actuarial value	8358583	5641660	
Accrued intt.(closing balance)	141884	283045	
Total	25465552	23881952	



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)					
Name of Entity - Veterinary Council of India - Leave Encashment & Gratuity					
Receipt and Payment for the year ended 31.03.2022					
ANNEXURE - IV (B)		(Amount in ₹.)			(Amount in ₹.)
Receipts	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21	Payment	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
Opening Balance					
Cash in Hand					
Bank Balances			Gratuity Paid on Death	2000000	
i) Saving account	83844	81393			
ii) Fixed deposit	17873403	16955506			
Interest received			Closing Bank Balance		
i) From Bank	7897	2451	Saving Account	481302	83844
ii) on Fixed Deposit	999941	917897	Fixed deposit	16483783	17873403
Total	18965085	17957247	Total	18965085	17957247

67



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)			
Name of Entity - Veterinary Council of India			
Schedules forming part of Balance Sheet of V.C.I. New Pension Scheme as at 31.3.2022			
		(Amount in ₹.)	
		Current Year	Previous Year
		2021-22	2020-21
ANNEXURE - V (A)			
Schedule - 1 (New Pension Scheme)			
Opening Balance (Corpus Fund)		1333186	1135132
Add: (contribution during the year including interest earned		242178	198054
Employee contribution + Employer Contribution)			
		1575364	1333186
Less: Remitted Employee Cont, Rs.651496/-+Employer Cont, Rs.676612/-		1328108	0
Total		247256	1333186
Schedule - 2 (New Pension Scheme)			
		Current Year	Previous Year
		2021-22	2020-21
Current Assets		NIL	NIL
Cash at Bank (Savings A/c)		247256	1333186
Total		247256	1333186



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)					
Name of Entity - Veterinary Council of India - New Pension Scheme					
Receipt and Payment for the year ended 31.03.2022					
ANNEXURE - V (B)	(Amount in ₹.)		(Amount in ₹.)		
Receipts	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21	Payments	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
Opening Balance					
Cash in Hand					
Bank Balances					
i) Saving account	1333186	1135132	Employee contribution Rs.651496/-		
ii) Fixed deposit			Employer Contribution Rs.676612/-	1328108	
Interest received			Closing Bank Balance		
i) Bank Account	36462	34526	Saving Account	247256	1333186
ii) on FD					
Employee contribution	90300	81764			
Employer Contribution	115416	81764			
Total	1575364	1333186	Total	1575364	1333186



Form of Financial Statements (Non-Profit Organisation)				
Name of Entity - Veterinary Council of India - New Pension Scheme				
Receipt and Payment for the year ended 31.03.2022				
ANNEXURE - V (B)	(Amount in ₹.)		(Amount in ₹.)	
Receipts	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21	Payments	Current Year 2021-22
				Previous Year 2020-21
Opening Balance				
Cash in Hand				
Bank Balances				
i) Saving account	1333186	1135132	Employee contribution Rs.651496/-	
ii) Fixed deposit			Employer Contribution Rs.676612/-	1328108
			Closing Bank Balance	
Interest received			Saving Account	1333186
i) Bank Account	36462	34526		
ii) on FD				
Employee contribution	90300	81764		
Employer Contribution	115416	81764		
Total	1575364	1333186	Total	1575364
				1333186



भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22



भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

(भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय)

"ए" विंग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

(A Statutory body established under
Indian Veterinary Council Act, 1984)

"A" Wing, 2nd Floor, August Kranti Bhawan,
Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066